राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक: एफ.8(2)(11)निर्वा/2018/9280 जयपुर, दिनांक: 3-11-2018

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर्स) राजस्थान।

रिटर्निंग अधिकारी (विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र)
समस्त।

विषय : **विधान सभा आम चुनाव, 2018 -- सेवानियोजित मतदाताओं से भिन्न अन्य श्रेणी के मतदाताओं को डाक मतपत्रों के प्रेषण के एवं EDC जारी करने के संबंध में विशेष व्यवस्था।**

संदर्भ : भारत निर्वाचन आयोग का परिपत्र (1) कमांक 52/2014–SDR दिनांक 07.03.2014 (EDC से संबंधित), (2) कमांक 52/2014/SDR/दिनांक 07.03.2014 (डाक मतपत्र से संबंधित) (3) कमांक 52/LET/ECI /FUNC/740 /SDR/2018-Vol.II दिनांक 09.08.2018 तथा (4) विभागीय पत्र कमांक - एफ. 8(2)(11)निर्वा/2018/7847 दिनांक 17.10.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग ने अपने संदर्भित पत्रों के द्वारा डाक मत पत्रों के प्रेषण के संबंध में विशिष्ट व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं। आयोग के संदर्भित पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं। रिटर्निंग अधिकारी की पुस्तिका, 2014 के अध्याय 11 में भी विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। अतः रिटर्निंग अधिकारी की पुस्तिका में दिये गये निर्देशों के साथ–साथ संदर्भित निर्देशों का भी गहन अध्ययन कर यह सुनिश्चित किया जावे कि डाक मतपत्र प्राप्त करने के हकदार प्रत्येक मतदाता को डाक मतपत्र जारी हो और वह डाक मतपत्र से अपना मतदान भी यथा समय कर सके। डाक मतपत्रों के मुद्रण से संबंधित निर्देश पृथक से जारी किये जा चुके हैं। संदर्भित विभागीय पत्र दिनांक 17.10.2018 के द्वारा डाक मतपत्रों के प्रेषण की विशेष व्यवस्था बाबत् निर्देश जारी किये गये थे। उक्त विभागीय पत्र दिनांक 17.10.2018 के अतिक्रमण में अब डाक मतपत्रों के प्रेषण के संबंध में और EDC जारी करने के संबंध में समेकित निर्देश नये सिरे से जारी किये जा रहे हैं, जिनमें भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भित निर्देशों के अन्तर्गत आगामी विधानसभा आम चुनाव में अपेक्षित कार्यवाही के मुख्य–मुख्य बिन्दु आगे बताये जा रहे है।

2.1. नियमों के अन्तर्गत डाक द्वारा मतदान (Vote by Post) करने के लिए निम्नांकित श्रेणी के मतदाता हकदार हैं:–

(क) सेवायोजित मतदाता (वर्गीकृत सेवायोजित मतदाताओं (CSV) के अलावा),
(ख) विशिष्ठ मतदाता (जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के नीचे दिये गये फुटनोट में वर्णित है।),
(ग) उपरोक्त (क) एवं (ख) में वर्णित मतदाताओं की पत्नियॉं,

(घ) निवारण निरोध के अध्यधीन मतदाता, तथा
(ड) निर्वाचन ड्यूटी में नियुक्त मतदाता।

2.2 प्रत्येक मतदाता जो चुनाव ड्यूटी के कारण अपने मूल मतदान केन्द्र में मतदान नहीं कर सकता है, वह डाक मतपत्र से मतदान का हकदार है। चुनाव ड्यूटी के मतदाताओं में जिला निर्वाचन अधिकारी/ रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं इनका स्टॉफ, कन्ट्रोल रूम स्टॉफ, विडियोग्राफर्स/चुनाव व्यय मोनीटरिंग दलों का स्टॉफ, सैक्टर अधिकारी, माइको आबजरवर्स, होमगार्डस, अधिग्रहित वाहनों के ड्राईवर/कन्डक्टर/क्लीनर आदि शामिल हैं। डाक मतपत्रों के लिए समस्त पुलिस अधिकारी एवं पुलिस कार्मिक पात्र है चाहे वे मतदान ड्यूटी में लगाये हुए हों या नहीं। केवल वे पुलिसकर्मी जो अवकाश पर हैं उन्हें डाक मतपत्र जारी नहीं होंगे।

2.3 निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 20 के अनुसार निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त व्यक्तियों के द्वारा डाक से मतदान करने की 2 विधियां बताई गई है, जिसमें प्रथम यह है कि यदि कोई व्यक्ति उसी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन ड्यूटी पर है, जहाँ पर वह निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है तो उसे **"निर्वाचन–कर्त्तव्य प्रमाण पत्र"** (EDC) दिया जायेगा, ताकि वह उसी निर्वाचन क्षेत्र में अपने मूल मतदान केन्द्र से भिन्न अन्य मतदान केन्द्र जहाँ वह निर्वाचन ड्यूटी पर होगा मतदान कर सके। द्वितीय यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ वह मतदाता के रूप में पंजीकृत है, से भिन्न किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त किया गया है तो वह डाक मतपत्र के द्वारा मतदान करने का हकदार है।

2.4 विधानसभा निर्वाचनों में, चूंकि मतदान कार्मिकों को अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नियुक्त नहीं किया जाता, इसलिये विधानसभा चुनावों में EDC के बजाय डाक मतपत्रों की व्यवस्था की जाती है। लेकिन कुछ कार्मिक अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी पर नियुक्त हो सकते है जैसे कि सैक्टर अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय स्टॉफ, रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय स्टॉफ, अधिकृत वाहनों के ड्राईवर/क्लीनर/कन्डक्टर, वीडियोग्राफर, मतदान अभिकर्ता आदि, जिन्हें EDC जारी किये जा सकते है।

2.5 निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 के नियम 20(2) के अनुसार निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र (EDC) से मतदान करने के लिए फार्म 12–क में आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जो कि रिटर्निंग अधिकारी को मतदान तिथि के कम से कम 4 दिवस पूर्व या रिटर्निंग अधिकारी इससे कम अवधि यदि अनुमत करता है, तो उस अवधि तक पहुँच जाये। फार्म 12–क में आवेदन प्राप्त होने पर रिटर्निंग अधिकारी अपनी संतुष्टि के उपरान्त फार्म 12–ख में निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण पत्र (EDC) जारी करता है, जिसके आधार पर मतदान केन्द्र जहाँ निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्ति दी गई है वहाँ मतदान किया जा सके।

2.6 अधिग्रहित वाहनों के ड्राईवर/कंडक्टर/क्लीनर, वीडियोग्राफर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय/ रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय का स्टॉफ, यदि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ पर वे मतदाता के रूप में पंजीकृत है निर्वाचन ड्यूटी में नियुक्त किया जाता है तो, फार्म 12–क में आवेदन प्राप्त होने पर EDC जारी किया जायेगा।

2.7 अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नियुक्त निर्वाचन ड्यूटी स्टॉफ जो डाक मतपत्र के द्वारा मतदान कर सकता है, उसे डाक मतपत्र जारी करने के लिए फार्म 12 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि रिटर्निंग अधिकारी को मतदान तिथि के कम से कम 7 दिवस पूर्व या रिटर्निंग अधिकारी इससे कम अवधि यदि अनुमत करता है तो उस अवधि तक पहुँच जाये।

3. **निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण पत्र (EDC) का मुद्रणः–**

3.1 भारत निर्वाचन आयोग ने **निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र** (Form 12-B) को यूनिक सीरियल नम्बर के साथ क्रम संख्याकित करने के भी निर्देश दिये है। Form 12-B के मुद्रित फार्म जिलों को निर्वाचन विभाग के द्वारा मुद्रित करवाकर उपलब्ध करवाये गये है। इन पर संबंधित निर्वाचन ड्यूटी स्टॉफ को जारी करने से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा यूनिक सीरियल नम्बर के साथ क्रम संख्या अंकित करना आवश्यक है, जिसका पूर्ण विवरण रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर और जिला स्तर पर संधारित किया जायेगा।

3.2 निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण पत्रों (फार्म 12–ख) पर यूनिक सीरियल नम्बर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रम संख्यांक एवं फार्म 12–ख का चार अंकों में क्रमांक, स्टाम्प से अंकित किये जायेंगे। उदाहरणार्थ– (06) जयपुर ग्रामीण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (48) जमवारामगढ़ के फार्म 12–ख में निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण पत्रों की संख्या यदि 120 है तो उन पर यूनिक सीरियल नम्बर अंकित करने हेतु *06/48/0001 से 06/48/0120* तक नम्बर दिये जायेंगे। निर्वाचन ड्यूटी के कार्मिक को किस क्रमांक का फार्म 12–ख में EDC जारी किया गया है उसका रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसका प्रारूप आयोग के EDC से संबंधित प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.03.2014 के ***परिशिष्ट–3*** में बताया गया है।

4. **डाक मत पत्रों का मुद्रण** :– डाक मत पत्रों का मुद्रण और इनके प्रेषण की केन्द्रीकृत व्यवस्था जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी। सेवानियोजित मतदाताओं के लिये डाक मतपत्रों की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब सेवा नियोजित मतदाताओं (CSV को छोड़कर) को डाक मतपत्र एवं अन्य सम्बद्ध दस्तावेज Electronically transmitted होंगे जैसा कि निर्वाचन आयोग के संदर्भित पत्र दिनांक 09.08.2018 से स्पष्ट है। सेवा नियोजित मतदाताओं को डाक मतपत्रों के संबंध में निर्देश पृथक से जारी किये जा चुके हैं। सेवा नियोजित मतदाताओं से भिन्न अन्य श्रेणी के मतदाताओं के लिए वांछित मात्रा में डाक मत पत्रों का मुद्रण अभ्यर्थिता वापिस लेने के नियत समय यानि दिनांक 22.11.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे से 72 घंटे के भीतर अर्थात दिनांक 25.11.2018 तक पूर्ण हो जाना आवश्यक है ताकि मतदान दलों एवं चुनाव ड्यूटी में लगे हुए अन्य कार्मिकों के लिये डाक मतपत्र तैयार किये जा सकें और प्रारम्भ हो चुके प्रशिक्षण सत्रों में ही Facilitation Centres में डाक मत पत्रों को संबंधित कार्मिकों को जारी कर उनसे मतदान भी कराया जा सके।

5. **डाक मत पत्र को स्टाम्पित करना** :– डाक मत पत्र जारी करने से पूर्व डाक मत पत्र के पीछे (Reverse side of Ballot Papers) रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षरों की मोहर दो बार लगायी जायेगी, जिसमें एक बार पूरी मोहर डाक मत पत्र पर होगी और दूसरी मोहर डाक मत पत्र तथा इसके प्रतिपर्ण दोनों पर होगी, ताकि इसका एक भाग डाक मत पत्र पर और एक भाग प्रतिपर्ण पर आ जाये। इसका नमूना **परिशिष्ट – 1** पर संलग्न है।

6. **निवारक निरोध के अध्यधीन मतदाताओं को डाक मतपत्र जारी करना ।**

6.1 निवारक निरोध के अध्यधीन मतदाता के संबंध में सूचना मय विवरण गृह विभाग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की तिथि (06.10.2018) के 15 दिनो के भीतर संबंधित रिर्टनिंग अधिकारी को भेजी जावेगी। इस संबंध में विभाग द्वारा गृह विभाग को पृथक से लिखा जा चुका है।

6.2 निवारक निरोध के अध्यधीन मतदाता द्वारा भी रिटर्निंग अधिकारी को निर्दिष्ट नाम, पता, निरोध के स्थान और निर्वाचक नामांवली में भाग संख्या व क्रम संख्या के अंकन डाकमत पत्र हेतु आवेदन भेजा जा सकता है।

6.3 निवारक निरोध के अध्यधीन मतदाता का आवेदन प्राप्त होने या गृह विभाग से सूचना प्राप्त होने पर यह देखा जावेगा कि संबंधित व्यक्ति का नाम संबंधित मतदाता सूची में दर्ज है।

6.4 ऐसे मतदाताओं को जारी किये जाने वाले डाक मतपत्र आगे वर्णित पैरा 16 के अनुसार तैयार किये जावेंगे ।

6.5 ऐसे मतदाताओं को डाक मतपत्र उनके निर्दिष्ट पते (जहॉ उन्हे निरोध में रखा गया है) पर प्रेषित किये जायेंगे ।

चुनाव डयूटी के मतदाताओं को डाक मतपत्र

7. **नोडल अधिकारियों की नियुक्तिः–**

7.1 मतदान कार्मिकों, चुनाव डयूटी में लगने वाले अन्य कार्मिकों के लिए डाक मतपत्रों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। आयोग ने अपने पत्र क्रमांक 464/INST/2014–EPS दिनांक 07.03.2014 के द्वारा यह निर्देश दिये है कि डाक मतपत्रों के प्रबंधन में विशिष्टताओं के दृष्टिगत जिले के वरिष्ठ राजस्व अधिकारी को ही नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावे।

7.2 पुलिस कार्मिकों एवं चुनाव डयूटी में लगने वाले होमगार्डस को डाक मतपत्रों की व्यवस्था हेतु जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

7.3 अधिग्रहित वाहनों के ड्राईवरों/कन्डक्टरों/क्लीनरों के लिए डाक मतपत्रों की व्यवस्था हेतु प्रभारी अधिकारी यातायात प्रकोष्ठ नोडल अधिकारी रहेंगे।

7.4 पुलिस कार्मिकों का डेटाबेस पूर्ण करवाने एवं उन्हें डाक मतपत्र की व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिस मुख्यालय पर भी राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी पुलिस महानिदेशक द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

7.5 निर्वाचन डयूटी स्टॉफ जो अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नियुक्त रहेगा, को EDC जारी कराने की व्यवस्था कराने का दायित्व भी उक्त नोडल अधिकारियों का रहेगा।

8. **डेटाबेस तैयार करना :–**

8.1 समस्त विभागों/संस्थाओं जिनका स्टॉफ किसी भी प्रकार की चुनाव ड्यूटी में लगाया जा सकता है, का डेटाबेस जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। यह डेटाबेस राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों के कर्मचारियों के संबंध में तैयार होता है। इस विषय में निर्वाचन विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश पूर्व में जारी हो चुके हैं। जिसके अनुसार कार्यवाही सभी जिलों में की जा चुकी होगी। डेटाबेस में सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के संबंध में उनकी निर्वाचक नामांवली की स्थिति का पूर्ण ब्यौरा यथा – संबंधित विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं नम्बर, भाग संख्या, मतदाता क्रमांक आदि का विवरण अंकित किया जाता है। किसी कर्मचारी/अधिकारी का मोबाइल नम्बर और ईमेल पता यदि उपलब्ध हो तो वह भी इसमें अंकित किया जाता है।

8.2 निर्वाचक नामांवली से संबंधित प्रविष्टियों की जानकारी यदि किन्हीं कार्मिकों को अभी तक नहीं हो पाई है तो संबंधित कर्मचारी से व्यक्तिशः/दूरभाष पर सम्पर्क कर या उनके नियन्त्रण अधिकारी के मार्फत यह जानकारी प्राप्त कर ली जावे। विकल्प के रूप में निर्वाचन विभाग की वेबसाईट से भी संबंधित कर्मचारी के निवास/नाम/EPIC के आधार पर जानकारी एकत्रित कर ली जावे। इस कार्य के लिए एक पृथक प्रकोष्ठ पर्याप्त कर्मचारियों एवं कम्प्यूटर सिस्टम के साथ तुरन्त गठित करने के निर्देश पूर्व से ही है। कार्मिकों की निर्वाचक नामांवली सहित प्रविष्टियों की डेटाबेस में पूर्ति करने एवं मतदान दलों का प्रथम रेण्डमाईजेशन का कार्य अब तक सम्पन्न कर लिया गया होगा।

8.3 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28–ए के अन्तर्गत कॉन्सटेबल से पुलिस महानिदेशक तक के राज्य के समस्त पुलिस बल के सदस्यों को भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण एवं अनुशासन के अधीन माना जाता है। अतः माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नं. 4783/2006 में पारित निर्णय के दृष्टिगत आयोग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में माना जावे भले ही उन्हें चुनाव ड्यूटी में प्रत्यक्षतः लगाया गया हो अथवा नहीं। इसलिए वे सभी डाक मतपत्र से मतदान करने के हकदार हैं। केवल वे पुलिसकर्मी जो अवकाश पर है वे डाक मतपत्र से मतदान नहीं कर सकते।

8.4 पुलिस कार्मिकों का डेटाबेस मतदाता सूची की प्रविष्टियों के साथ दिनांक 30.09.2018 तक पूर्ण करने के लिए पुलिस महानिदेशक, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षकों को विभाग के पत्र क्रमांक एफ 8(2)(13)निर्वा/2013/4663 दिनांक 18.8.2018 को जारी किया गया था।

8.5 इसी प्रकार चुनाव ड्यूटी में लगाये जाने वाले होमगार्डस का भी डेटाबेस तैयार करने के लिए महानिदेशक, होमगार्डस को विभाग के पत्र क्रमांक एफ.8(2)(11)निर्वा/2018/4664 दिनांक 18.8.2018 के द्वारा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को फोरेस्ट गार्ड्स का डेटाबेस तैयार करने हेतु विभाग के पत्रांक एफ.8(2)(11)निर्वा/2018/6665 दिनांक 1.10.2018 के द्वारा लिखा जा चुका है।

8.6 महानिदेशक, होमगार्डस द्वारा होमगार्डस के संबंध में तथा वन विभाग द्वारा फोरेस्ट गार्ड्स के संबंध में तैयार किये गए प्रारम्भिक डेटाबेस का उपयोग जिला पुलिस अधीक्षकों के द्वारा किया जाना है ताकि जिला पुलिस अधीक्षकों द्वारा चुनाव ड्यूटी में लगाये जाने वाले होमगार्ड्स एवं फोरेस्ट गार्ड्स को डाक मतपत्र जारी होना सुनिश्चित हो सके।

8.7 उक्त निर्धारित समय सीमा के उपरान्त भी यदि किन्ही पुलिस कार्मिकों, फोरेस्ट गार्ड्स एवं होमगार्डस के संबंध में निर्वाचक नामांवली की प्रविष्टियों की पूर्ति डेटाबेस में दर्ज करने से शेष है तो उनकी पूर्ति दिनांक 22.10.2018 तक आवश्यक रूप से संबंधित पुलिस अधीक्षकों/नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा कर लेने के निर्देश भी प्रासंगिक विभाग पत्र दिनांक 18.10.2018 को दिये गये थे।

8.8 चुनाव में अधिग्रहित किये जाने वाले राजकीय/निजी वाहनों के ड्राईवरों/ कन्डक्टरों/क्लीनरों का डेटाबेस दिनांक 31.08.2018 तक पूर्ण किये जाने हेतु विभाग के पत्र कमांक एफ. 8(2)(11)निर्वा/2018/4662 दिनांक 18.8.2018 द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है।

8.9 यह पुनः उल्लेखनीय है कि डेटाबेस तैयार करते समय यदि किसी कार्मिक/व्यक्ति का निर्वाचक नामांवली संबंधी विवरण संबंधित कार्मिक या संबंधित विभाग से प्राप्त नहीं हो सके तो निर्वाचन विभाग की वेबसाईट और एसएमएस के जरिये भी विवरण प्राप्त किया जा सकता है।

9. भरे हुए फार्म 12/12–क जारी करना और हस्ताक्षरित फार्म 12/12–क संकलित करना :–

9.1 पुलिस कर्मियों, चुनाव डयूटी में लगाये जाने वाले कार्मिकों, होमगार्डस, फोरेस्ट गार्डस, ड्राईवर/कन्डक्टर/क्लीनर आदि के संबंध में चूंकि डेटाबेस पूर्व में तैयार हो जायेगा, जिसमें उनके मतदाता के रूप में दर्ज विवरण भी अंकित होगा इसलिए इन सभी को नियुक्ति पत्रों के साथ पूर्व से ही भरे हुए (Pre-filled) फार्म 12 एवं 12–क जारी किये जायेंगे। मतदान कार्मिकों को केवल फार्म 12 ही जारी होंगे।

9.2 ड्राईवर/कन्डक्टर/क्लीनर, वीडियोग्राफर आदि जो अपने ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में भी नियुक्त किये जा सकते है और किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन में भी नियुक्त किये जा सकते है, और यह विनिश्चय बाद में भी हो सकता है अतः उनको नियुक्ति पत्रों के साथ पूर्व से ही भरे हुए (Pre-filled) फार्म 12 एवं 12–क, दोनों ही, जारी किये जायेंगे और उनसे संकलित भी किये जायेंगे ताकि उस विधानसभा क्षेत्र में नियुक्ति होने की स्थिति में उनको निर्वाचन डयूटी प्रमाण पत्र (EDC) जारी हो सके।

10. चुनाव डयूटी के कर्मचारियों को भरे हुए फार्म 12 जारी करना और उनसे हस्ताक्षरित फार्म 12 संकलित करना :–

10.1 चुनाव ड्यूटी में नियुक्त स्टाफ को दोहरी प्रति में नियुक्ति पत्र भेजे जाते है ताकि वह एक प्रति फार्म 12/12–क में आवेदन के साथ संलग्न कर सके। Pre-filled फार्म 12/12--क में कार्मिक के लिये यह नोट भी अंकित किये जाने के निर्देश है कि उनकी मतदाता संबंधी किसी सूचना में कोई अशुद्धि हो तो उसे दुरूस्त करते हुए वह हस्ताक्षरित कर देंवे। इस प्रकार से चुनाव डयूटी में नियुक्त स्टॉफ (मतदान दलों से भिन्न) से डाक मतपत्र के लिए आवेदन फार्म

12 में और EDC के लिये आवेदन फार्म 12–क में हस्ताक्षर करवाकर प्राप्त करने का कार्य जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिनांक 20.11.2018 तक करवा लिया जावे।

10.2 मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा चुका है और दिनांक 21.11.2018 तक सम्पन्न किया जाना है। प्रथम प्रशिक्षण में आने वाले समस्त मतदान कार्मिकों से उक्त Pre-filled फार्म 12 संबंधित प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी द्वारा एकत्रित करने की व्यवस्था कर ली जावे।

10.3 शेष मतदान अधिकारियों जिन्हें प्रथम प्रशिक्षण के बाद किसी प्रशिक्षण सत्र में बुलाया जाता है उन्हें भी नियुक्ति पत्र (दोहरी प्रति में) जारी कर उसके साथ Pre-filled फार्म 12 भेज दिये जावे और Pre-filled फार्म 12 हस्ताक्षरित कराकर उनके संबंधित नियन्त्रण अधिकारियों के माध्यम से दिनांक 24.11.2018 तक जिला निर्वाचन अधिकारी के संबंधित प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त कर लिये जावे।

10.4 मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण दिनांक 28.11.2018 से 01.12.2018 तक सम्पन्न किया जाना है। इस प्रशिक्षण में मतदान दलों के सभी सदस्यों को बुलाया जाना है। यदि किसी मतदान कार्मिक का हस्ताक्षरित फार्म 12 अब तक प्राप्त नहीं हुआ है तो वह इस द्वितीय प्रशिक्षण में आवश्यक रूप से प्राप्त किया जायेगा। फार्म 12 संकलित करने का कार्य जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित प्रकोष्ठ द्वारा किया जायेगा तथा सुविधा केन्द्र के माध्यम से डाक मतपत्र जारी कर मतदान कराया जावेगा।

10.5 फार्म 12 अथवा फार्म 12–क, जैसी भी स्थिति हो, में डाक मतपत्र/EDC के लिए हस्ताक्षरित आवेदन पत्र प्राप्त करने के साथ–साथ प्रत्येक कार्मिक से उसके नियुक्ति पत्र की एक प्रति तथा EPIC की फोटो प्रति या उसके फोटो पहचान दस्तावेज की फोटो प्रति भी साथ में ली जावे ताकि सही व्यक्ति को ही डाक मतपत्र या EDC जारी हो सके।

10.6 जिन कार्मिकों को डाक मतपत्र के द्वारा मतदान कराया जाना है उनको द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान संचालित Facilitation Centres में मतदान कराया जायेगा। जो कार्मिक अवशेष रह जाते हैं उनको इसके बाद यदि कोई प्रशिक्षण है तो उसमें या रवानगी के दिन Facilitation Centre में मतदान कराया जायेगा। यदि कोई कार्मिक रवानगी के दिन तक डाक मतपत्र प्राप्त नहीं कर सका है और फार्म 12 में आवेदन के आधार पर डाक मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तैयार कर चिन्हित मतदाता सूची में "PB" अंकित किया जा चुका है तो उस स्थिति में उसी दिन डाक मतपत्र को रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के द्वारा संबंधित मतदाता को उसके पते पर प्रेषित किया जायेगा, विशेष वाहक या अन्य किसी माध्यम से नहीं पहुंचाया जायेगा।

10.7 यह भी स्पष्ट किया जाता है कि फार्म 12 में आवेदन प्राप्त हुए बिना कोई भी डाक मतपत्र प्रत्याशा में अग्रिम तौर पर तैयार कर **नहीं** रखा जायेगा।

11 **पुलिस कार्मिकों/होमगार्डस को Pre-filled फार्म 12 एवं 12–क प्रेषित करना एवं हस्ताक्षरित फार्म 12 एवं 12–क संकलित करना :–**

11.1 पुलिस कार्मिकों एवं होमगार्डस की नियुक्ति उनके अपने थाना क्षेत्र (निवास स्थान के थाना क्षेत्र) में नहीं की जाती। लेकिन अपने थाना क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में, जहां वह मतदाता है, में निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त हो सकता है। अतः सभी पुलिस कार्मिकों एवं चुनाव ड्यूटी में लगाये जाने वाले होमगार्ड्स/फोरेस्ट गार्ड्स के संबंध में पूर्व से भरे हुए फार्म 12 एवं 12–क (Pre-filled Form 12/12-A) उनके नियुक्ति आदेश के साथ ही भेजे जायेंगे। फार्म 12 एवं 12–क में यह नोट अंकित रहेगा कि यदि मतदाता सूची के संबंध में कोई प्रविष्टि गलत अंकित है तो उस प्रविष्टि को वह कार्मिक सही करते हुए अपने हस्ताक्षर भी कर देंवे। पुलिस कार्मिक जिन्हें चुनाव ड्यूटी का नियुक्ति पत्र नहीं भेजना है उनसे भी फार्म 12 एवं 12–क भरवा लिये जावें।

11.2 पुलिस कार्मिकों एवं चुनाव ड्यूटी पर लगने वाले होमगार्ड्स/फोरेस्ट गार्डस को Pre-filled Form 12/12-A भेजना एवं उन पर हस्ताक्षर करवाकर नियुक्ति पत्र की प्रति तथा EPIC / फोटो पहचान दस्तावेज की प्रति के साथ संकलित करने का कार्य जिला पुलिस अधीक्षकों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 24.11.2018 तक करवा लिया जावे और जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को दिनांक 25.11.2018 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवा दिये जावे। यदि इसके बाद भी अपरिहार्य कारणों से उक्त फार्म 12 एवं 12–क आदि प्राप्त होने शेष रह जाते है तो दिनांक 30.11.2018 तक आवश्यक रूप से रिटर्निंग अधिकारी को पहुंचा दिये जावे। इस आधार पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा डाक मतपत्र अथवा EDC, जैसी भी स्थिति है, तैयार कर जारी किये जा सके।

11.3 यदि संभव हो तो पैरा 11.2 मे बताई गयी कार्यवाही इससे भी पूर्व करवा ली जावे ताकि डाक मतपत्र से Facilitation Center में मतदान करने के लिए अधिक समय और अधिक अवसर मिल सकें।

12. **अधिग्रहित वाहनों के ड्राईवरों/कंडक्टरों/क्लीनरों से फार्म–12 या फार्म 12–क (pre filled form 12 & 12-A) भरवाना और प्राप्त करना –**

12.1 अधिग्रहित वाहनों की सूचना एवं डेटाबेस उपर वर्णित निर्देशों के अनुसार तैयार कर लिया गया होगा। यह योजना भी पूर्व में ही तैयार कर ली जावे कि कौनसा वाहन कौनसे क्षेत्र में निर्वाचन ड्यूटी में जायेगा। जिन वाहनों के ड्राईवर/कंडक्टर/क्लीनर यदि उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन ड्यूटी में जाते है जहां वे निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है तो उन्हें डाक मतपत्र के बजाय फार्म 12–क में आवेदन के आधार पर EDC के माध्यम से मतदान करने की सुविधा दी जा सकती है। यदि वे अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जहां वे मतदाता के रूप में पंजीकृत है, से भिन्न निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन ड्यूटी में लगाये जाते है तो उन्हें डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा दी जायेगी।

12.2 Pre-filled फार्म 12 अथवा फार्म 12–क, जैसी भी स्थिति हो, में यह नोट भी अंकित किया जायेगा कि मतदाता से संबंधित यदि कोई प्रविष्टि सही नहीं है तो उसे सही करके वे उपलब्ध करावे।

12.3 Pre-filled फार्म 12 अथवा फार्म 12–क, जैसी भी स्थिति हो, को संकलित करते समय संबंधित ड्राईवरों/कन्डक्टरों/क्लीनरों से उनके EPIC अथवा फोटो पहचान दस्तावेज (ड्राईविंग लाईसेंस आदि) की प्रति भी साथ में प्राप्त की जावे।

12.4 ड्राईवरों/कन्डक्टरों/क्लीनरों के वाहन मालिकों को नोडल अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया जायेगा कि वे वाहन के संबंधित ड्राईवर, कंडक्टर, क्लीनर को यह निर्देश देवे कि वे अधिग्रहित वाहन के साथ चुनाव ड्यूटी पर उपस्थित होते समय अपना EPIC अथवा मान्यता प्राप्त फोटो पहचान दस्तावेज (ड्राईविंग लाईसेंस आदि) साथ लेकर आवें।

12.5 अधिग्रहित **सरकारी** वाहनो के ड्राईवरों आदि से हस्ताक्षरित एवं भरे हुए फार्म–12 अथवा फार्म 12–क, जैसी भी स्थिति हो, उपर वर्णित दस्तावेजों की प्रति के साथ प्रभारी अधिकारी, यातायात प्रकोष्ठ के माध्यम से दिनांक 25.11.2018 तक प्राप्त कर लिये जावे ताकि ड्राईवर/कन्डक्टर/क्लीनर Facilitation Centre पर डाक मतपत्र से मतदान कराना हो तो वे मतदान कर सके अथवा उन्हें EDC जारी किया जा सके।

12.6 अधिग्रहित **निजी** वाहनो के ड्राईवर/कन्डक्टर/क्लीनर से भरे हुए एवं हस्ताक्षरित फार्म–12 अथवा फार्म 12–क, जैसी भी स्थिति हो, उपर वर्णित दस्तावेजों की प्रति के साथ प्रभारी अधिकारी यातायात प्रकोष्ठ के माध्यम से प्राप्त कर दिनांक 29.11.2018 तक आवश्यक रूप से रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करवा दिये जावे।

12.7 फार्म 12–क के आवेदन पत्र में मतदान केन्द्र का नम्बर एवं नाम, जहां उसकी चुनाव ड्यूटी को दर्शाने के लिए स्थान बताया हुआ है लेकिन इसकी पूर्ति करना आवश्यक नहीं है क्योकि यह जानकारी संबंधित व्यक्ति को आवेदन के समय नहीं होगी।

13. निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण पत्र (EDC) तैयार कर जारी करना :–

13.1 उपरोक्तानुसार फार्म 12–क में EDC के लिए प्राप्त आवेदन पत्र उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों की प्रति के साथ प्राप्त होने पर अविलम्ब जिला निर्वाचन अधिकारी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को फार्म 12–ख में निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण पत्र (EDC) तैयार करने के लिए उपलब्ध करायेगा।

13.2 रिटर्निंग अधिकारी फार्म 12–क में प्राप्त आवेदन पत्र की प्रविष्टियों एवं उपरोक्त वर्णित प्राप्त दस्तावेजों की प्रति की जांच कर फार्म 12–ख में EDC तैयार करेगा। प्रत्येक EDC पर यूनिक क्रम संख्या जैसा कि उपर पैरा 3.1 एवं 3.2 में बताया गया है स्टाम्प/मशीन से अंकित किया जायेगा।

13.3 तैयार किये गये सभी निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण पत्रों (EDCs) का लेखा निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.03.2014 (EDC तैयार करने बाबत) के **परिशिष्ट–3** के निर्धारित रजिस्टर में वर्णित किया जायेगा जिसमें कार्मिक का नाम, (जिसे EDC जारी किया गया है) और EDC का यूनिक कम संख्या भी अंकित किया जायेगा। जब संबंधित कार्मिक/व्यक्ति को EDC जारी किया जावे तो उसके हस्ताक्षर भी इस रजिस्टर में प्राप्त किये जायेंगे।

13.4 फार्म 12–क में आवेदन प्राप्त होने पर तैयार किये गये EDCs द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान Facilitation Center पर संबंधित को वितरित किये जायेंगे और यदि कोई कार्मिक/व्यक्ति उस समय EDC प्राप्त नहीं कर पाता है तो इसके लिए रिटर्निंग अधिकारी बाद की कोई तिथि निर्धारित कर सकते हैं। EDC प्राप्त करने से जो भी व्यक्ति अवशेष रह जाता है वह मतदान दलों की रवानगी के दिन तक EDC प्राप्त कर सकता है इसके बाद नहीं।

13.5 फार्म 12–क में आवेदन प्राप्त होने पर फार्म 12–ख में EDC तैयार करते ही मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में तुरन्त "EDC" मार्क कर दिया जावे ताकि ऐसा व्यक्ति अपने मूल मतदान केन्द्र में मतदान नहीं कर सके क्योकि फार्म 12–क में आवेदन प्रस्तुत करने पर वह व्यक्ति अपने मूल मतदान केन्द्र में मतदान करने का हकदार नहीं रह जाता।

13.6 ***चिन्हित मतदाता सूची में "EDC" या "PB" मार्क होने तथा चिन्हित मतदाता सूची के इसके बाद मतदान दलों को दिये जाने हेतु सीलबंद कर देने के बाद न तो कोई EDC और ना ही डाक मतपत्र जारी करने के लिए तैयार किया जा सकता है।***

14. **निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण पत्र (EDC) के आधार पर मतदान करना :–**

14.1 निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण पत्र (EDC) के आधार पर कार्मिक उस मतदान केन्द्र पर मतदान कर सकता है जहां पर वह निर्वाचन डयूटी पर तैनात किया गया है। सेक्टर अधिकारी एवं मतदान दलों से भिन्न निर्वाचन डयूटी में लगे हुए अन्य अधिकारी/कर्मचारी भी अपने कर्त्तव्य स्थल के आस–पास या क्षेत्र के भीतर किसी मतदान केन्द्र में EDC के आधार पर मतदान कर सकते है।

14.2 EDC के आधार पर मतदान करने के लिए कार्मिक को उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को EDC प्रस्तुत करना होगा। मतदान केन्द्र का पीठासीन अधिकारी उक्त EDC प्रस्तुत होने के बाद निर्वाचनों के संचालन नियम 1961 के नियम 35–क में वर्णित कार्यवाही करेगा, जो निम्न प्रकार है:–

(i) EDC प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के EDC पर हस्ताक्षर प्राप्त करेगा,
(ii) उस व्यक्ति का नाम और निर्वाचक नामावली संख्यांक, जो EDC में वर्णित है, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अन्त में प्रविष्टि करेगा,
(iii) उक्त ऐसी प्रविष्टि को क्रम संख्यांकित किया जायेगा जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अन्तिम क्रम संख्या के आगे क्रमानुसार होगी,
(iv) उसे मत देने की अनुज्ञा उसी रीति में देगा जैसे उस मतदान केन्द्र में मत देने के हकदार किसी मतदाता को देता है, और
(v) EDC प्रथम मतदान अधिकारी के द्वारा रखे जायेंगे।

14.3 मतदाताओं के रजिस्टर (Form 17-A) के कॉलम संख्या 2, जिसमें मतदाताओं की क्रम संख्या अंकित की जाती है, में EDC के आधार पर मतदान करने वाले कार्मिक के मतदाता क्रम संख्या तथा भाग संख्या वर्णित किया जायेगा। उदाहरणार्थ यदि EDC धारक व्यक्ति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भाग संख्या 25 की क्रम संख्या 415 का मतदाता है का अंकन 17–ए रजिस्टर में कॉलम संख्या 2 में "415/25" के रूप में दर्ज किया जायेगा तथा 17–ए रजिस्टर के रिमार्क कॉलम में EDC Voter लिखा जायेगा।

14.4 अपवाद स्वरूप ऐसे मतदान केन्द्र जहां पर कोई Polling Agent नहीं है, को छोडकर मतदान केन्द्र में मतदान कार्मिकों द्वारा EDC के आधार पर मतदान किया जावे तो Polling Agent की उपस्थिति में ही मतदान किया जावे।

14.5 पीठासीन अधिकारी को अपनी पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी EDC के आधार पर मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या अंकित करनी होगी। इसके अतिरिक्त फार्म 17–ग (भाग–1) में मतदान केन्द्र के लिए नियत निर्वाचकों की कुल संख्या में + का निशान लगाकर EDC के आधार पर मतदान करने वाले निर्वाचकों की संख्या को भी जोडा जावे।

14.6 पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी EDCs को एक अलग लिफाफे में रखेगा और उस पर मतदान केन्द्र का नाम व संख्या तथा उसमें रखे गये EDCs की संख्या अंकित करेगा। यह लिफाफा सील बन्द करके निर्वाचन सामग्री के साथ पीठासीन अधिकारी द्वारा जमा कराया जायेगा। संग्रहण स्थल पर ऐसे सभी लिफाफो को एक अलग से बक्से में रखा जायेगा ताकि उस बक्से को खोलकर पुनर्मतदान की स्थिति में ऐसे मतदाता जिन्होने EDC के आधार पर उस मतदान केन्द्र, जहां पुनर्मतदान होना है, में मतदान किया हो, की जानकारी कर उनको पुनः EDC जारी किया जा सके।

15. **डाक मतपत्र तैयार करना** :–

15.1 विधानसभा निर्वाचनों में मतदान कार्मिकों को उनके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन ड्यूटी में नहीं लगाया जाता। पुलिस कार्मिकों एवं होमगार्डस को भी उनके थाना क्षेत्र में नहीं लगाया जाता। अन्य निर्वाचन ड्यूटी स्टॉफ मे से भी अधिकांश के संबंध में यह विनिश्चय होने में समय लगता है कि उनकी ड्यूटी कौनसे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में रहेगी और इस प्रकार कुछ श्रेणियों के निर्वाचन स्टॉफ को ही EDC के माध्यम से मतदान करने की सुविधा दी जा सकेगी। इसलिए विधानसभा चुनाव में अधिकांश निर्वाचन ड्यूटी स्टॉफ को डाक मतपत्र के माध्यम से ही मतदान की सुविधा दी जा सकेगी।

15.2 दिनांक 25.11.2018 तक डाक मतपत्र मुद्रित हो जायेंगे, जिसके तुरन्त बाद रिटर्निंग अधिकारी ऐसे समस्त कर्मचारियों/व्यक्तियों जिन्हें कि चुनाव ड्यूटी में नियुक्त किया गया है, और जिनके फार्म 12 प्राप्त हो गये हैं और उनकी प्रविष्टियां सही पायी गई है तो वह उनके लिए डाक मतपत्र अविलम्ब तैयार करवायेगा।

15.3 डाक मतपत्र तैयार करते समय चिन्हित मतदाता सूची में "PB"भी साथ–साथ मार्क किया जावे किन्तु चिन्हित मतदाता सूची में मतपत्र का क्रमांक अंकित नहीं होगा। मतपत्र के प्रतिपर्ण में मतदाता की भाग संख्या एवं क्रमांक अंकित होगा। प्रतिपर्णो को पृथक से उसी दिन विधानसभा क्षेत्रवार सीलबन्द लिफाफे में रख दिया जायेगा और लिफाफे पर विधानसभा क्षेत्र के नाम, सीलबंद करने की तिथि, प्रतिपर्णो की संख्या आदि पूरा विवरण अंकित किया जायेगा।

15.4 सभी डाक मतपत्र द्वितीय प्रशिक्षण के समय Facilitation Centre पर संबंधित को वितरित किये जाने हेतु Facilitation Centre के प्रभारी को उपलब्ध कराये जायेंगे।

15.5 समस्त पुलिस कार्मिकों एवं चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त होमगार्ड्स, ड्राईवर्स / कंडक्टर्स / क्लीनर्स जिनके द्वारा फार्म–12 में विधिवत आवेदन किया गया है उन्हें भी Facilitation Centre पर डाक मतपत्र से मतदान हेतु कम से कम एक बार बुलवाया जायेगा।

15.6 जो कोई व्यक्ति / कार्मिक उसके लिए नियत तिथि को Facilitation Centre पर डाक मतपत्र से मतदान नहीं कर सका है वह बाद में भी अगले प्रशिक्षण सत्र में मतदान कर सकता है।

15.7 सामान्यतः डाक मतपत्र अन्य जिले में भेजने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योकि कार्मिक चुनाव ड्यूटी में अन्य जिले में सामान्यतः नहीं जायेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अन्य जिले के Facilitation Centre में भेजना आवश्यक हो तो जिला निर्वाचन अधिकारी अन्य जिले के ज़िला निर्वाचन अधिकारी से समन्वय रखकर आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

15.3 यदि कोई कार्मिक, जिसने फार्म 12 प्रस्तुत किया है और जिसका डाक मतपत्र तैयार कर चिन्हित मतदाता सूची में "PB" मार्क किया जा चुका है, व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपना डाक मतपत्र द्वितीय या पश्चात्वर्ती प्रशिक्षणों में Facilitation Centre पर प्राप्त नहीं कर पाया है तो ऐसे व्यक्ति को 24 घंटें के भीतर (**लेकिन मतदान दिवस के पूर्व ही**) रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से प्रेषित कर दिया जाये। **कोई भी डाक मतपत्र जो जारी किया जाना है, वह रिटर्निंग अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी के पास मतदान दिवस को अवशेष नहीं रहना चाहिए।**

15.9 यह पुनः उल्लेखनीय है कि चिन्हित मतदाता सूची में "EDC" या "PB" मार्क होने तथा चिन्हित मतदाता सूची के इसके बाद मतदान दलों को दिये जाने हेतु सीलबंद कर देने के बाद न तो कोई "EDC" और ना ही "डाक मतपत्र" जारी करने के लिए तैयार किया जा सकता है।

15.10 यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त सूचना प्रपत्र (Additional Information Sheet) जिसके लिए मतदान केन्द्रवार बनाने के निर्देश आयोग के पूर्व पत्र क्रमांक 52 / 2008 / JS-II दिनांक 21.10.2008 के द्वारा दिये गये थे, अब नहीं बनानी है। आयोग के इस संबंध में अब संदर्भित पत्र दिनांक 07.03.2014 प्रभाव में है, जिनमें अतिरिक्त सूचना प्रपत्र (AIS) बनाने का प्रावधान नहीं है।

15.11 डाक मतपत्र तैयार करने की प्रक्रिया आगे पैरा 16 में बताई जा रही है । सेवानियोजित मतदाताओं से भिन्न अन्य श्रेणी के मतदाताओं के लिये डाक मतपत्र के फार्म 13–बी (Cover-A) फार्म 13–सी (Cover-B) का रंग **गुलाबी** (Pink) होगा।

16. चुनाव ड्यूटी स्टाफ को डाक मतपत्र जारी करने से पूर्व डाक मतपत्र तैयार करने की विधि :–

16.1 डाक मत पत्र मुद्रित होकर प्राप्त होते ही R.O. को (अथवा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त प्रभारी A.R.O. को) डाक मतपत्र तैयार करने के लिए निम्नांकित कार्यवाही अविलम्ब करनी है:–

(i) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में निर्वाचक की क्रम संख्या और भाग संख्या का अंकन डाक मतपत्र के प्रतिपर्ण पर अंकित किया जायेगा और डाक मत पत्र एवं इसके प्रतिपर्ण को अलग–अलग किया जायेगा। तत्पश्चात्,

(ii) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में मतदाता की प्रविष्टि के सामने PB अंकित किया जायेगा लेकिन मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में मत पत्र का कमांक किसी भी स्थिति में अंकित नहीं होना चाहिए।

(iii) प्ररूप 13–क में मतदाता की घोषणा के प्रपत्र में डाक मत पत्र जो कि मतदाता को भेजा जाना है, का कमांक सही–सही अंकित करना है। इसके साथ–साथ प्ररूप 13–ख के लिफाफे (Cover-A) पर भी मत पत्र का कमांक सही–सही अंकित करना है। यहां विशेष सावधानी की आवश्यकता है क्योंकि मतगणना के समय प्ररूप 13–क एवं प्ररूप 13–ख पर अंकित मत पत्र का मिलान किया जाता है। यदि मत पत्र का कमांक प्ररूप 13–क अथवा प्ररूप 13–ख में गलत अंकित कर दिया गया है तो वह खारिज किया जा सकता है। इसलिए मत पत्र का कमांक प्ररूप 13–क एवं प्ररूप 13–ख के लिफाफे पर सही–सही अंकित होना चाहिए।

(iv) प्ररूप 13–घ में मतदाताओं के लिए दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत दिये गये स्थान में मतगणना प्रारम्भ होने की नियत दिनांक एवं समय की भी सही–सही पूर्ति की जानी है।

(v) महिला मतदाताओं के प्रेषित किये जाने वाले डाक मत पत्रों के लिए प्ररूप 13–ग के लिफाफे (Cover-B) पर "W" अंकित किया जायेगा ताकि मतगणना के समय ज्ञात हो सके कि कितनी महिला मतदाताओं ने और कितने पुरूष मतदाताओं ने डाक मतपत्र से मतदान किया है।

(vi) उक्त कार्यवाही के पश्चात डाक मत पत्र को प्रारूप–13बी लिफाफे (कवर–ए) के अन्तर्गत डाला जायेगा। तत्पश्चात,

(vii) प्ररूप 13–ख का लिफाफा (जिसमें डाक मत पत्र भी रखा जा चुका है), प्ररूप 13–क में मतदाता की घोषणा, प्ररूप 13–घ में मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश तथा प्ररूप 13–ग का खाली लिफाफा एक बडे लिफाफे में रख दिये जायेंगे और इस बड़े लिफाफे पर मतदाता का पूरा एवं स्पष्ट पता अंकित किया जायेगा।

16.2 प्रेषित किये गये डाक मतपत्रों के प्रतिपर्णो (Counter foils) को एक पृथक पैकेट में रखकर सील किया जावेगा और पैकेट पर विवरण भी अंकित किया जावेगा। सील किये जाने की तारीख भी अंकित की जावेगी। उक्त पैकेट रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा जावेगा।

17. डाक मतपत्र द्वारा Facilitation Centre में मतदान की व्यवस्था :–

17.1 कार्मिकों को डाक मतपत्र जारी करने और उससे मतदान कराने के लिये Facilitation Centre बनाये जायेंगे। प्रशिक्षणों के दौरान प्रशिक्षण सत्र पूरा होने के पश्चात् पृथक से कम से कम 2 घंटे के लिए Facilitation Centre में डाक मतपत्र से मतदान करने की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जायेगी।

17.2 मतदान कार्मिकों का द्वितीय प्रशिक्षण दिनांक 28.11.2018 से 01.12.2018 तक में चूंकि सभी मतदान कार्मिक बुलाये जाऐंगे, इसलिए इनके लिए तैयार किये हुए डाक मतपत्र Facilitation Centre में इसके प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे और मतदान भी कराया जायेगा। यदि चुनाव डयूटी स्टॉफ/मतदान कार्मिक द्वारा इस दौरान फार्म 12 पूर्णतया भरकर डयूटी

आदेश एवं EPIC/ फोटो पहचान दस्तावेज के साथ रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी तत्काल उसकी जांच कर और डाक मतपत्र तैयार कर जारी कर सकेगा। इस संबंध में मतपत्र के प्रतिपर्ण एवं चिन्हित मतदाता सूची से संबंधी औपचारिकाताऐं भी पूरी की जायेगी। इस प्रकार से प्रदाय किये जाने वाले डाक मतपत्रों से मतदान कार्मिक Facilitation Center पर मतदान कर सकेंगे। इन्हीं Facilitation Center पर मतदान कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य स्टॉफ जो विभिन्न चुनाव डयूटियों में लगा हुआ है जैसे कि DEO/RO का स्टॉफ, विभिन्न प्रकोष्ठों का स्टॉफ, विडियोग्राफर्स, माइक्रो आबजरवर्स, चुनाव व्यय मानीटरिंग दलों का स्टॉफ, पर्यवेक्षकों के साथ लगा हुआ स्टॉफ, कन्ट्रोल रूम स्टॉफ, बूथ लेवल अधिकारी, वोटर असिस्टेन्ट बूथ स्टॉफ आदि, उनसे भी डाक मतपत्र के द्वारा मतदान करवा लिया जावे।

17.3 बूथ लेवल अधिकारी एवं वोटर अस्सिटेन्ट बूथ स्टॉफ का भी प्रशिक्षण कराया जाना है, जो मतदान दिवस के 4–5 दिन पूर्व कराया जा सकता है और उसी दिन एक निर्धारित समय पर Facilitation Centre पर डाक मतपत्र से उनसे मतदान करवा लेंवे।

17.4 मतदान कार्मिक को जारी किये जाने वाले लिफाफे पर संबंधित कार्मिक का नाम व पद अंकित होगा तथा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि यह सुविधा केन्द्र पर संबंधित कार्मिक को ही जारी हो। संबंधित चुनाव डयूटी स्टॉफ जिसे डाक मतपत्र जारी किया जाना है उसे पहचान दस्तावेज के आधार पर डाक मतपत्र जारी किया जावे। एक कार्मिक के लिए तैयार डाक मतपत्र अन्य कार्मिक को जारी नही किया जा सकता है क्योंकि डाक मतपत्र के प्रतिपर्ण पर संबंधित मतदाता का मतदाता सूची कमांक अंकित किया जाता है, जिसे बदला नहीं जा सकता।

17.5 पुलिस कर्मियों हेतु आयोजित ब्रीफिंग/प्रशिक्षणों के दौरान Facilitation Centre डाक मतपत्र जारी करने के लिए बनाये जायेंगे। ये प्रशिक्षण/ब्रीफिंग कार्यक्रम दिनांक 2 या 3 दिसम्बर, 2018 को आयोजित किये जा सकते है। इन Facilitation Centre पर डाक मतपत्र जारी करने का कार्य रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी ही करेगा।

17.6 यदि किसी नियन्त्रणकर्ता अधिकारी (आर.ए.सी. बटालियन कमान्डेन्ट/अन्य) द्वारा पुलिस मूवमेन्ट प्लॉन के कारण Facilitation Centre पहले आयोजित किये जाने की मांग की जाती है तो पूर्व में भी आयोजित किया जा सकता है।

17.7 अधिग्रहित वाहनो के ड्राइवर, कन्डक्टर एवं क्लीनर के लिए डाक मतपत्र से मतदान हेतु Facilitation Centre भी मतदान दिवस से 5–6 दिन पूर्व से मतदान दलों की रवानगी के दिन तक बनाये जायेंगे।

17.8 एक ड्राइवर, कन्डक्टर एवं क्लीनर के लिए तैयार डाक मतपत्र अन्य ड्राइवर, कन्डक्टर एवं क्लीनर को जारी नही किया जा सकता है क्योंकि डाक मतपत्र के प्रतिपर्ण पर संबंधित मतदाता का मतदाता सूची कमांक अंकित किया जाता है ।

18. **सुविधा केन्द्र** (Facilitation Centre) **की व्यवस्था :–**

18.1 जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्येक सुविधा केन्द्र पर प्रभारी के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की जावेगी । सुविधा केन्द्र प्रभारी के सहयोगार्थ स्टॉफ भी लगाया जायेगा। सुविधा केन्द्रों के प्रारम्भ होने से पूर्व ही दिनांक 26.11.2018 तक इस स्टॉफ को भी प्रशिक्षण जिला स्तर पर आयोजित किया जाना है।

18.2 सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को सुविधा केन्द्र पर डाक मतदान की शेड्यूल को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा तथा उन्हे अपने प्रतिनिधियों को सुविधा केन्द्रों पर डाक मतपत्र से मतदान प्रकिया को देखने की अनुमति दी जाएगी।

18.3 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं अभ्यर्थियों को सुविधा केन्द्र पर मतदान की प्रकिया देखने हेतु उनके बैठने की उचित व्यवस्था की जायेगी, किन्तु उनके द्वारा मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई हस्तक्षेप करता है तो सुविधा केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को सुविधा केन्द्र से बाहर जाने का निर्देश दिया जायेगा।

18.4 मतदाता द्वारा डाक मतपत्र अंकन के लिए वोटिंग कम्पार्टमेन्ट–मतदान केन्द्र की तरह बनाये जायेंगे ताकि मतदान की गोपनीयता बनी रहे। सुविधा केन्द्र में गोंद/गम की व्यवस्था भी लिफाफे सील करने के लिए होनी चाहिए ।

18.5 प्रत्येक सुविधा केन्द्र पर एक राजपत्रित अधिकारी फार्म 13–क में घोषणा के सत्यापन करने के लिए लगाया जाएगा। सत्यापन करने वाला राजपत्रित अधिकारी फार्म 13–क में घोषणा को सत्यापित करने से पूर्व कार्मिक की पहचान, फोटो पहचान दस्तावेज से सुनिश्चित करेगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि फार्म 13–क में घोषणा पत्र में मतपत्र का कमांक अंकित है, कार्मिक द्वारा घोषणा पत्र हस्ताक्षरित है और उसका डाक का पता अंकित है। सत्यापन स्वरूप प्रमाणितकर्ता अधिकारी फार्म 13–क पर घोषणा पत्र में यथा स्थान तिथि सहित अपने पूर्ण हस्ताक्षर करेगा तथा अपना पदनाम व कार्यालय का पता दर्शाते हुए हस्तलेख से अंकित करेगा या इसके लिए मोहर लगायेगा।

18.6 सुविधा केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा मतदाता पहचान पत्र या अन्य फोटो पहचान दस्तावेज (EPIC अथवा अन्य फोटो पहचान दस्तावेज) के आधार पर मतदाता की पहचान की पुष्टि करने के बाद रजिस्टर में हस्ताक्षर कराकर डाक मतपत्र जारी किए जायेंगे। इसके लिए विधानसभावार मतदाता रजिस्टर का संधारण किया जायेगा। जिसका प्रारूप निम्न प्रकार होगा :–

No. & Name of Assembly Constituency .....

Running Sl. No.	Part No. of Electoral Roll	Sl. No. of elector in the electoral roll	Details of the document produced by the elector in proof of his/her identification	Signature/ T.I. of elector	Remarks

उक्त रजिस्टर उसी प्रकार सीलबंद किया जायेगा जैसे कि फाम 17–क (मतदाता रजिस्टर) एवं नियम 93(1) में वर्णित अन्य सांविधिक लिफाफे सीलबंद किये जाते है। उक्त रजिस्टर की प्रति अभ्यर्थियों को उनकी मांग पर मतदान होने के बाद दी जा सकती है।

18.7 सुविधा केन्द्र में डाक मतपत्र डालने के लिए एक बडा स्टील बक्सा मतदान बॉक्स के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मतदान प्रारम्भ कराने से पूर्व खाली बक्सा वहां उपस्थित सभी को दिखाया जायेगा और सील किया जायेगा। मतदाता डाक मतपत्र पर अपना मत अंकित करके व लिफाफे को सील करके इस बक्से में डालेंगे।

18.8 डाक मतपत्र से मतदान करने वाले सभी व्यक्तियों को डाक मतपत्र से मतदान करने की प्रकिया समझायी जावे ताकि किसी का वोट निरस्त नहीं हो। मतदाता डाक मतपत्र का कमांक फार्म 13–क में घोषणा पत्र पर और मतपत्र वाले लिफाफे (Form 13-B-Cover A) पर यदि पूर्व से अंकित नहीं है तो, अंकित करेगा। दोनो पर मतपत्र क्रमांक सही–सही हो। तत्पश्चात् मतपत्र पर मत चिन्हित करेगा व मतपत्र को छोटे लिफाफे (Form 13-B-Cover A) में रखकर उसे सील करेगा। तत्पश्चात् वह 13–क में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर अपना नाम एवं पूर्ण पता अंकित करेगा तथा घोषणा पत्र को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवायेगा। मत अंकित करते हुए मतपत्र को वह राजपत्रित अधिकारी को या अन्य किसी को नही बतायेगा, तथा मतदान की गोपनीयता रखेगा। इसके बाद वह मतपत्र वाले छोटे सीलबंद लिफाफे व प्रमाणित की हुई घोषणा को बड़े लिफाफे (Form 13-C- Cover-B) में रखकर उसे सील कर देगा तथा सुविधा केन्द्र पर रखे उक्त बक्से में डाल देगा।

18.9 डाक मतपत्र की छंटनी – डाले गये सभी डाक मतपत्रों का बॉक्स राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों/अभ्यर्थियों की उपस्थिति में (यदि कोई उपस्थित हो तो) सुविधा केन्द्र के प्रभारी द्वारा खोला जाएगा। सभी डाक मतपत्र बॉक्स से बाहर निकाले जायेंगे और खाली बॉक्स दिखाया जाएगा। सुविधा केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा डाक मतपत्र लिफाफों को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार छंटनी कर डाक मतपत्र लिफाफों की संख्या, एक निर्धारित प्रारूप के रजिस्टर में अंकित की जायेगी। रजिस्टर का प्रारूप डाक मतपत्रों से संबंधित प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.03.2014 के संलग्न **फारमेट–1** में बताया गया है।

18.10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार डाक मतपत्र लिफाफे एक बडे लिफाफे में रखे जायेंगे। जिस पर सुविधा केन्द्र का नाम, तारीख, डाक मतपत्रों की संख्या और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट रूप से इस लिफाफे पर लिखा जाएगा।

18.11 प्रभारी अधिकारी, सुविधा केन्द्र डाक मतपत्रों के लिफाफे को संबंधित नोडल अधिकारी (जो नायब तहसीलदार से कम स्तर का ना हो) के माध्यम से उक्त रजिस्टर के सुसंगत पृष्ठों की एक प्रति के साथ संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को भेजेगा ।

18.12 वीडियोग्राफी – डाक मतदान की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।

18.13 सुविधा केन्द्र पर प्राप्त डाक मतपत्र के भंडारण हेतु रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए एक विशेष स्ट्रांग रूम में उक्त **फारमेट–1** में रजिस्टर के सुसंगत पृष्ठों की प्रति के साथ डाक मतपत्र युक्त लिफाफा रखा जायेगा।

18.14 यह उल्लेखनीय है कि जिस व्यक्ति को डाक मतपत्र जारी किया गया है वह केवल डाक मतपत्र से ही मतदान कर पायेगा, चाहे वह चुनाव ड्यूटी पर हो अथवा उससे मुक्त कर दिया गया हो।

18.15 यदि कोई मतदाता सुविधा केन्द्र पर मतदान दलों की रवानगी तक डाक मतपत्र से मतदान नहीं कर सका है तो वह अपना डाक मतपत्र डाक से (By Post) संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के पते पर प्रेषित कर सकेगा। **आयोग के निर्देश है कि रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में डाक मतपत्रों के लिए अब कोई ड्रॉपबाक्स (Drop Box) नहीं रखा जायेगा।**

19. सुविधा केन्द्र एवं डाक द्वारा प्राप्त डाक मतपत्र की निगरानी एवं सूचना संप्रेषणः–

19.1 सुविधा केन्द्रों में डाले गये डाक मतपत्रों की प्रतिदिन सूचना सुविधा केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा **फारमेट–2** (देंखे डाक मतपत्र संबंध प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.03.2014 के संलग्न फारमेट 2) में जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जायेगी।

19.2 जिला निर्वाचन अधिकारी भी उक्त **फारमेट–2** में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की दैनिक सूचना संकलित करेंगे और इसकी प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रतिदिन भेजी जाएगी। राज्य स्तरीय संकलित सूचना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार **फारमेट–2** में प्रतिदिन भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जानी होगी और समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को भी भेजी जायेगी। अतः यह सूचना समयबद्ध रूप से भेजे जाने की व्यवस्था संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे ।

20. डाक मतपत्रों की वापसी में डाक विभाग की भूमिका

20.1 डाक मतपत्रों की समय पर रवानगी तथा पुनः प्राप्त होने वाले डाक मतपत्रों की समय पर सुपुर्दगी सुनिश्चित की जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा डाक विभाग को निर्देश जारी किये जाते रहे है। इसके संबंध में मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, जयपुर राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी है। डाक विभाग से किसी भी प्रकार की सहायता के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी सीधे ही उक्त अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है ।

20.2 सभी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधीक्षक, डाक एवं तार विभाग के साथ बैठक कर आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की जावे तथा डाक विभाग की ओर से जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करवा लिया जावे। इस विभाग के द्वारा मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल राजस्थान को भी जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों की नियुक्ति हेतु लिखा जा चुका है।

21. डाक द्वारा डाक मतपत्रों की प्राप्तिः–

21.1 मतदान के पश्चात डाक द्वारा प्राप्त होने वाले डाक मतपत्र डाक विभाग रिटर्निंग अधिकारी को हर दिन वितरित करेंगे। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक पोस्ट ऑफिस मनोनीत किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रतिदिन 3.00 PM का समय डाक मतपत्रों को प्राप्त करने के लिए नियत होगा। मतगणना के दिन यह समय 8.00 AM से पूर्व या मतगणना प्रारम्भ होने का अन्य समय नियत हो तो उससे पूर्व तक का नियत रहेगा।

21.2 डाक मतपत्र प्राप्त करने के उक्त नियत समय पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों को भी उपस्थित रहने की अनुमति की सूचना लिखित में दी जायेगी।

21.3 मतगणना केन्द्रो और रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालयों के पते की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा डाक विभाग को लिखित में दी जाएगी । डाक कर्मी को मतगणना केन्द्र में आने के लिए पास भी जारी किया जायेगा।

21.4 डाक मतपत्रों की रसीद प्राप्त डाक मतपत्रों के लिफाफों की संख्या का उल्लेख करते हुए डाककर्मी को दी जाएगी। पावती की प्रति रिटर्निंग अधिकारी के रिकॉर्ड में रखी जाएगी।

21.5 डाक कर्मी से डाक मतपत्र के लिफाफे प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी भी की जायेगी।

21.6 डाक विभाग के माध्यम से प्राप्त डाक मतपत्रों की संख्या एवं सुविधा केन्द्रों से विशेष वाहक के जरिये प्राप्त डाक मतपत्रों की संख्या निर्धारित **फारमेट–3** में दैनिक आधार पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी (देंखे डाक मतपत्रों से संबंधित पत्र दिनांक 07.03.2014 का फारमेट–3)। उक्त **फारमेट–3** में प्रतिदिन की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रतिदिन भेजी जायेगी और इसी फारमेट में राज्य की सूचना संकलित कर निर्वाचन विभाग द्वारा आयोग को भेजी जायेगी। इसकी एक प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को भी भेजी जायेगी। अतः जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों के संबंध में उक्त फारमेट–3 में रिटर्निंग अधिकारी से नियमित रूप से सूचना प्राप्त कर जिले की संकलित सूचना प्रतिदिन भेजना सुनिश्चित करें।

21.7 डाक द्वारा प्राप्त हुए डाक मतपत्रों का संग्रहणः– प्रतिदिन डाक विभाग द्वारा प्राप्त डाक मतपत्रों को एक अलग लिफाफे में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा रखा जाएगा तथा लिफाफे पर तारीख और संख्या अंकित होगी तथा **"पोस्टल मतपत्र डाक द्वारा प्राप्त"** होना अंकित होगा। हर दिन डाक मतपत्र इसके लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखे जायेंगे ।

22. डाक मतपत्रों के रिकार्ड का संधारणः–

प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी उपरोक्त उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार सभी निर्वाचन कर्तव्यारूढ मतदाता, सेवायोजित मतदाता तथा निवारक निरोध के अध्यधीन मतदाता और विशिष्ठ मतदाता (यदि कोई हो) को डाक मतपत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करेंगे। डाक मतपत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में एक रजिस्टर का संधारण किया जावेगा, जो रिटर्निंग अधिकारी की पुस्तिका, 2014 के अध्याय 11 तथा एनेक्सचर–29 के अनुसार होगा ।

23. मतदान के पश्चात् प्राप्त होने वाले डाक मतपत्रों की सुरक्षा अभिरक्षाः–

सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी प्राप्त होने वाले डाक मतपत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु प्रत्येक सुविधा केन्द्र पर प्राप्त होने वाले डाक मतपत्रों को तिथिवार और सुविधा केन्द्रवार पृथक–पृथक लिफाफे/कवर में रखे जावेंगे तथा डाक से प्राप्त होने वाले डाक मतपत्रों को भी तिथिवार पृथक–पृथक लिफाफे/कवर में रखा जायेगा। निर्धारित प्रपत्रों में जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन विभाग को उपरोक्त Format 2 व 3

में प्रतिदिन प्राप्त होने वाले डाक मतपत्रों की सूचना जरिये ई–मेल एवं कैम्प बैग के द्वारा प्रेषित करेंगे।

24. मतगणना से पूर्व डाक मतपत्रों की संख्या का मिलनाः–

सुविधा केन्द्रों से प्राप्त हुए डाक मतपत्र लिफाफे, जो पैरा 18.13 के अनुसार प्राप्त हुए है, एक के बाद एक खोले जायेंगे और प्रत्येक ऐसे लिफाफे में पाये जाने वाले डाक मतपत्रों की संख्या सुविधा केन्द्र से प्राप्त रजिस्टर के संबंधित पृष्ठों की प्रति में वर्णित डाक मतपत्रों की संख्या से मिलान किया जायेगा। इस मिलान का परिणाम अभ्यर्थियों/उनके एजेन्टों को डाक मतपत्रों की गणना प्रारम्भ करने से पूर्व दिखाया जायेगा। इसी प्रकार डाक से प्राप्त डाक मतपत्रों के रजिस्टर को भी अभ्यर्थियों/एजेन्टों को दिखाया जायेगा।

25. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, संबंधित नोडल अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी चुनाव आयोग द्वारा जारी किये गये प्रासंगिक पत्रों में वर्णित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर इनकी पालना सुनिश्चित करेंगें तथा निर्धारित प्रपत्र जो आयोग के दिनांक 07.03.2014 के संदर्भित दोनों पत्रों के साथ संलग्न है, में समयबद्ध सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

अतः उपरोक्त बिन्दुओ में दर्शाये गये दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आनन्द कुमार)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.8(2)(11)निर्वा/2018/ 9288
जयपुर, दिनांकः 3-11-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान।
2. महानिदेशक, होमगार्ड, राजस्थान।
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान।
4. श्री हवा सिंह घुमरिया, पुलिस नोडल अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
5. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

SAMPLE

(Reverse side of counterfoil)

(Perforation)

SIGNATURE

-- *(Reverse side of postal ballot)*

(Reverse side of counterfoil)
(Perforation)

निर्वाचन तत्काल
ई–मेल/कैम्प बैग द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

सं. 52/2014–एस डी आर/

दिनांक : 7 मार्च, 2014

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दमन और दीव, दादरा एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप जिनमें एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, को छोड़कर)

विषय :– डाक मत पत्रों को जारी करने के लिए दिशा–निर्देश तत्संबंधी।

संदर्भ :– भारत निर्वाचन आयोग का पत्र सं. 52/2012/एस डी आर/216–250, दिनांक 13 अगस्त 2012, सं. 52/2012/एस डी आर/181–215, दिनांक 13 अगस्त, 2012 और सं. 2/2012/एस डी आर/251–285, दिनांक 13 अगस्त, 2012।

महोदय/महोदया,

1. निर्वाचन आयोग ने मतदान ड्यूटी पर व्यक्तियों द्वारा डाक मत पत्रों को डालने की सुविधा हेतु समय–समय पर विस्तृत अनुदेश जारी किए हैं। आयोग ने इन अनुदेशों को वर्ष 2012–2013 में आयोजित विभिन्न राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के दौरान संशोधित और परिष्कृत किया था। इसका यह परिणाम हुआ है कि मतदान ड्यूटी पर व्यक्तियों द्वारा डाक मत पत्रों के डालने में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। आयोग ने, मतदान ड्यूटी पर व्यक्तियों द्वारा डाक मत पत्रों के जरिए मतदान करने की सुविधा सम्बन्धी प्रक्रिया में विभिन्न लॉजिस्टिकल समस्याओं पर विचार किया है और इन अनुदेशों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। ये विस्तृत अनुदेश निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों द्वारा डाक मत पत्रों के जरिए मतदान करने की सुविधा से संबंधित सभी विद्यमान अनुदेशों के अधिक्रमण में जारी किए जा रहे हैं।

2. निर्वाचन ड्यूटी पर वे व्यक्ति जो डाक मत पत्र (पी बी) और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण–पत्र (ई डी सी) के पात्र हैं :– निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त वे सभी व्यक्ति जो उस मतदान केन्द्र पर, जहां वे मतदाता के तौर पर पंजीकृत हैं, अपना वोट डालने में असमर्थ हैं, वे या तो निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण–पत्र या फिर डाक मत पत्र की सुविधा के पात्र है। यदि वे उसी निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी पर लगाए जाते हैं, जहां वे एक मतदाता के तौर पर पंजीकृत हैं तो वे निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पात्र हैं, जो उन्हें उस मतदान केन्द्र पर मतदान करने का हकदार बनाता है जहां वे ड्यूटी पर हैं। यदि वे उस निर्वाचन क्षेत्र से, जहां वे मतदाता के तौर पर पंजीकृत है, अन्य निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी पर हैं तो वे डाक मत पत्र के लिए पात्र हैं। इन व्यक्तियों में मतदान

दलों के कर्मचारी, सेक्टर अधिकारी, जोनल अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, ऐसे कर्मचारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालयों, कनट्रोल रूम और निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यालयों मे तैनात हैं, माइको–प्रेक्षक, सभी पुलिस कर्मी, होम गार्ड, चालक, परिचालक और वाहनों के क्लीनर जो निर्वाचन कार्यो में कार्यरत हैं, शामिल हैं यदि ऐसे व्यक्ति निर्वाचन संबंधी ड्यूटी पर होने के कारण उन मतदान केन्द्रों पर मतदान करने में असमर्थ हैं जहां वे मतदाता के रूप में पंजीकृत है। अभ्यर्थियों के मतदान एजेंट भी, इस प्रयोजनार्थ, निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं की श्रेणी में आते हैं। यदि कोई व्यक्ति उसी निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी पर है जहां वह एक मतदाता के रूप में पंजीकृत है तो वह निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण–पत्र के लिए पात्र है और यदि वह अन्य निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी पर है तो वह डाक मत पत्र के लिए पात्र है।

3. <u>निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात व्यक्ति द्वारा डाक मत पत्र की सुविधा के कारण</u> – आयोग ने समय–समय पर अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं कि निर्वाचन ड्यूटी पर बहुत से निर्वाचक अपना डाक मत पत्र डालने में असमर्थ होते हैं और ऐसे व्यक्तियों द्वारा डाले गए डाक मत पत्र अनेकों बार गणना के समय रिटर्निंग अधिकारी के पास नहीं पहुंचते हैं। आयोग को उन व्यक्तियों को अनुचित प्रभाव डालने या भयभीत करने की संभावना के बारे में भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो डाक मत पत्र द्वारा अपना मत डालते हैं इन मामलों को हल करने के लिए, आयोग ने ऐसी शिकायतों का निराकरण करने के लिए प्रशिक्षण सत्रों के दौरान निर्वाचन ड्यूटी पर व्यक्तियों द्वारा डाक मत पत्र डालने को सुविधाजनक बनाने का निर्णय लिया है। ऐसे प्रशिक्षण सत्रों में डाक मत पत्रों के माध्यम से मतदान को फैसिलिटेशन केन्द्र में मतदान के रूप में सन्दर्भित किया गया है। आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि सरलीकरण पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए ताकि सभी पणधारी इस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में शामिल हो सकें।

4. आगामी लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2014 के दौरान, पुलिस कार्मिक, वाहनों के चालक/परिचालक/सफाईकर्मी, वीडियोग्राफी में लगे व्यक्ति, आदि सहित मतदान स्टाफ अधिकांशतः संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में से ही लिया जाएगा। अतः, निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं की बड़ी संख्या निर्वाचक ड्यूटी प्रमाण–पत्र का प्रयोग करते हुए मतदान कर सकते हैं। यद्यपि, यदि ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से भिन्न निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी पर रखा है, जहां वे एक मतदाता के तौर पर पंजीकृत नहीं हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए डाक मत पत्र के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा।

5. <u>डाटाबेस की तैयारी</u> – निर्वाचन ड्यूटी पर होने के कारण जिन व्यक्तियों को डाक मत पत्र जारी किए जाने हैं उनका एक डाटाबेस अग्रिम रूप से तैयार किया जाना चाहिए। अन्य सूचना के साथ, इन डाटाबेसों में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम, भाग में भाग संख्या एवं क्रम संख्या जहां व्यक्ति एक मतदाता के रूप में पंजीकृत है, के बारे में सूचना आवश्यक तौर पर होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्या डाटाबेस में शामिल किया जाना चाहिए। डाक मत पत्रों के माध्यम से मतदान करने के लिए फैसिलिटेशन केन्द्रों के स्थान एवं पते के बारे में सूचना रखने के लिए डाटाबेस में स्थान होना चाहिए। फैसिलिटेशन केन्द्र वही होगा जो स्थान प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निर्धारित किया गया हो। यदि एक व्यक्ति एक से अधिक बार प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है तो सभी प्रशिक्षणों की सूचना डाटाबेस में शामिल की जानी चाहिए। किसी व्यक्ति के निर्वाचक नामावली पंजीकरण के बारे में सूचना, निर्वाचक मतदाता पहचान पत्र संख्या के आधार पर सर्च सुविधा के प्रयोग द्वारा और नाम और सरनाम के आधार पर सर्च सुविधा द्वारा ढूंढा जा सकता है। यह सर्च सुविधा सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है। ये डाटाबेस निम्नलिखित तरीके से तैयार किए जाने चाहिएं :–

(क) निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात किए गए कर्मचारियों का डाटाबेस – जिला निर्वाचन अधिकारी को मतदान दलों में ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों के लिए एक डाटाबेस और निर्वाचन ड्यूटी जैसे सैक्टर अधिकारियों, जोनल अधिकारियों, माइक्रो–ऑबज़र्वरों आदि के लिए एक दूसरा डाटाबेस तैयार करना है। इस डाटाबेस में किसी भी प्रकार की निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त सभी व्यक्ति शामिल होने चाहिएं यदि ऐसा व्यक्ति निर्वाचन ड्यूटी पर होने के कारण, मतदान केन्द्र जहां पर वह एक मतदाता के तौर पर पंजीकृत है पर अपना मतदान करने में असमर्थ हैं।

(ख) पुलिस कार्मिकों के मामले में जिन्हें निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात मतदाता के रूप में माना जाता है, पुलिस अधीक्षक या अन्य सक्षम अधिकारी, जिले में सभी पुलिस कार्मिकों (होम गार्डो सहित, यदि निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात हों) के डाटाबेस का रख रखाव करेगा। उस डाटाबेस में, निर्वाचक विवरण जैसे विधान सभा की संख्या एवं नाम, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या एवं क्रम संख्या जहां पर निर्वाचक एक मतदाता के तौर पर पंजीकृत है, भी शामिल किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक, जिले में पुलिस कार्मिकों के लिए तैनाती योजना अग्रिम रूप में तैयार करेंगे। इस स्तर पर, निर्वाचन ड्यूटी पर उन्हें किस निर्वाचन क्षेत्र में लगाया गया हैं, का पता चल जाएगा कि उनकी तैनाती वहां की गई है जहां वे निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं या किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में की गई है। जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र से बाहर तैनात किया गया है, वे डाक मत पत्र या ई डी सी के माध्यम से मतदान करने के पात्र होगें। पुलिस अधीक्षक, पुलिस कार्मिकों द्वारा डाक मत या निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण–पत्र के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा संबंधी सभी क्रियाकलापों के साथ समन्वय करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। पुलिस अधीक्षक या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा पुलिस कार्मिको को निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण–पत्र या डाक मत पत्र, जैसा भी मामला हो, हेतु आवेदन करने के लिए फार्म 12 क (निर्वाचन ड्यूटी के लिए) या फार्म 12 (डाक मत पत्र के लिए) उपलब्ध करवाएगा। पुलिस अधीक्षक या नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचक नामावली विवरण सहित ये आवेदन फार्म 12 और 12 क में पुलिस कार्मिकों द्वारा विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षर किए हुए, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास मतदान की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले भेज दिए जाएं ताकि निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण–पत्र या डाक मतपत्र, जैसा भी मामला हो, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में आवश्यक प्रविष्टियां करने के बाद जारी किए जा सकें।

(ग) इसी प्रकार, विशिष्ट निर्वाचन संबंधी ड्यूटी के लिए नियुक्त चालकों/परिचालकों/सफाई कर्मियों और अन्य व्यक्तियों के मामले में भी एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। नोडल अधिकारी, इस प्रकार निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात किए गए व्यक्तियों की निर्वाचक नामावली के पंजीकरण संबंधी विवरण जैसे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि का भाग संख्या और क्रम संख्या प्रमाणित करेगा और उन्हें फार्म 12क (निर्वाचन ड्यूटी प्रमाणपत्र के लिए) उपलब्ध करवाएगा यदि वे निर्वाचन ड्यूटी पर पंजीकरण वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में लगाए जाते हैं और यदि वे भिन्न निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन ड्यूटी पर लगाए जाते हैं तो उन्हें फार्म 12 (डाक मत पत्र हेतु) जैसा भी मामला हो, ई डी सी या पी बी के लिए आवेदन करने हेतु फार्म उपलब्ध करवाएगा। नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचक नामावली विवरण सहित ये आवेदन फार्म 12 और फार्म 12 क में, निर्वाचन ड्यूटी में लगाए गए चालक, परिचालक आदि द्वारा विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास मतदान की तारीख से, कम से कम, 7 दिन पहले भेज दिए जाए ताकि निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण–पत्र या डाक मतपत्र, जैसा भी मामला हो, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में आवश्यक प्रविष्टि करने के बाद जारी किए जा सकें।

6. पूर्व–पूरित फार्म–12 जारी करना और हस्ताक्षरित फार्म–12 एकत्रित करना :– फार्म 12 उन सभी व्यक्तियों को जारी किया जाना चाहिए जिन्हें उनके पंजीकरण वाले निर्वाचन क्षेत्र से बाहर निर्वाचन ड्यूटी पर लगाया गया है। जहां की निर्वाचक नामावली में व्यक्ति पंजीकृत है, वहां निर्वाचक का नाम, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम, भाग सं० एवं भाग में क्रम संख्या जैसी सूचना देते हुए फार्म–12 को पूर्व–पूरित किया जा सकता है। यह सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तैयार किए गए कर्मचारी डाटाबेस में उपलब्ध होनी चाहिए। पूर्व–पूरित फार्म–12 मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा तैयार करवाए गए सॉफ्टवेयर द्वारा कर्मचारियों के डाटाबेस से मुद्रित किया जा सकता है। फार्म–12 में नीचे की तरफ एक नोट मुद्रित किया जाना चाहिए कि कर्मचारी को पूर्व–पूरित विवरण की जांच कर लेनी चाहिए और यदि ये विवरण ठीक नहीं है तो इन्हें ठीक कर लेना चाहिए। पुलिस कार्मिकों को फार्म–12 पुलिस अधीक्षक/इस प्रयोजन हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी के माध्यम से बांटा जाना चाहिए। निर्वाचनों में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों के चालकों, परिचालकों, सफाई कर्मियों को फार्म–12 नोडल अधिकारी/परिवहन प्रभारी के माध्यम से बांटे जाने चाहिएं।

7. यह सुनिश्चित करने के लिए कि डाक मतपत्र किसी अपात्र व्यक्ति को जारी नहीं किया जाए, के लिए निर्वाचन ड्यूटी पर तैनाती के प्रमाण स्वरूप नियुक्ति पत्र की प्रति और निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र की प्रति सहित हस्ताक्षरित फार्म–12 प्रशिक्षण के प्रथम दिन या यथा संभव जितनी जल्दी हो सके, प्राप्त कर लेना चाहिए। हस्ताक्षरित फार्म–12, अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख से पहले प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तथापि, यदि किन्हीं कारणों से निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों का फार्म–12 इस तारीख से पहले प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वे इस तारीख के बाद भी यथा संभव जितनी जल्दी हो सके, इसे प्राप्त किया जा सकता है। डाक मत–पत्रों को जारी करने के लिए हस्ताक्षरित फार्म–12 जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले में संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को भेज देने चाहिएं।

8. सेवा मतदाताओं को डाक मतपत्र जारी करना :– सेवा मतदाताओं के लिए सभी डाक मत पत्र, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप दिए जाने के 24 घण्टे के अन्दर मुद्रित हो जाने चाहिए और अगले 24 घण्टों के अन्दर जारी हो जाने चाहिए। सेवा मतदाताओं के डाक मतों के लिए बाह्य लिफाफे (फार्म 13 ग) पीले रंग (संसदीय और विधान सभा निर्वाचनों, दोनों के लिए) में होंगे ताकि उन्हें मतदान ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के लिए डाक मत पत्रों से अलग किया जा सके। फार्म 13 ग में लिफाफे पर संसदीय या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जैसा भी मामला हो, के पूर्ण विवरण, साफ तौर पर उल्लिखित होने चाहिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य के डाक विभाग के प्रमुख के साथ एक बैठक करेंगे और यह प्रबंधन करेंगे कि सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतों को, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामित डाक विभाग के निर्दिष्ट कर्मचारी को सौंप दिए जाएं। डाक विभाग तब यह सुनिश्चित करेगा कि सेवा मतदाताओं के लिए सभी डाक मत पत्र 48 घण्टे के अंदर संबंधित रिकार्ड अधिकारी को पहुंचा दिए जाते हैं।

9. अन्य श्रेणियों को डाक मत जारी करना :– जिला निर्वाचन अधिकारी डाटाबेस में प्रत्येक कर्मचारी के लिए सुविधा केन्द्र संबंधी सूचना भरेगा। सामान्यतः, प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र एक सुविधा केन्द्र भी होगा ताकि निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात मतदाता जब वे डाक मतपत्र के मुद्रण के बाद दिए जाने वाले दूसरे/परवर्ती प्रशिक्षण के लिए आएं तो अपना डाक मत डाल सकें। सभी पुलिस कार्मिक और निर्वाचन में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों के चालकों, परिचालकों और सफाईकर्मियों को, कर्मचारियों द्वारा डाक मत पत्र के जरिए मतदान करने की सुविधा प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ प्रशिक्षण देने के लिए कम से कम एक बार बुलाया जाना

चाहिए। यदि कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के लिए प्रशिक्षण सत्र एक से अधिक बार आयोजित किया जाता है तो डाक मत पत्र के जरिए मतदान करने की सुविधा प्रत्येक सत्र में दी जानी चाहिए ताकि यदि किसी कर्मचारी ने अपना डाक मत पूर्व के सत्र में नहीं डाला है तो वह अगले प्रशिक्षण सत्र में डाक मत डाल सके। रिटर्निंग अधिकारी उनके लिए डाक मत पत्र तैयार करेगा जिन्होंने हस्ताक्षरित फार्म–12 प्रस्तुत किया है। यह डाक मत पत्र मुद्रित होने के बाद यथा शीघ्र किया जाना चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी तब संबंधित कर्मचारी के सुविधा केन्द्र के स्थान एवं पते की जांच करेगा और डाक मतपत्र को कर्मचारी के पास भेजने के लिए डाक मतपत्र के जरिए मतदान करने वाले सुविधा केन्द्र के प्रभारी को भेजेगा।

= यदि सुविधा केन्द्र ऐसे क्षेत्र में अवस्थित है जो डाक मतपत्र जारी करने वाले रिटर्निंग अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर है तो वे डाक मतपत्र सीधे उस डाक बैलटिंग सुविधा केन्द्र के प्रभारी अधिकारी को भेजेंगे।

= यदि सुविधा केन्द्र डाक मतपत्र जारी करने वाले रिटर्निंग अधिकारी के क्षेत्राधिकार के बाहर किन्तु जिले के भीतर हो तो वे इसे जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से भेजने के बजाय, जिले के भीतर स्थित संबंधित सुविधा केन्द्र के प्रभारी अधिकारी को सीधे भेजेंगे।

= डाक मतपत्र को जिले से बाहर भेजने की सामान्य तौर पर जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि कर्मचारियों को सामान्य तौर पर अपने जिले के बाहर निर्वाचन ड्यूटी के लिए नहीं भेजा जाता है। हालांकि, यदि डाक मतपत्र को जिले से बाहर स्थित सुविधा केन्द्र भेजना जरूरी हो जाता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी दूसरे जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ समन्वय करेंगे और यथापेक्षित कार्रवाई करेंगे।

= यदि कोई कर्मचारी, जिसने फार्म 12 प्रस्तुत किया है और जिसके लिए डाक मतपत्र तैयार किया गया है, डाक मतपत्र को फैसिलिटेशन केन्द्र से द्वितीय/अनुवर्ती प्रशिक्षण में वह उसे व्यक्तिशः कलेक्ट नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए डाक मतपत्र 24 घंटों के भीतर पावती सहित पंजीकृत डाक के द्वारा प्रेषित किया जाना चाहिए। जारी किए जाने के लिए तैयार कोई भी डाक मतपत्र आरओ/किसी अन्य कर्मचारी के पास नहीं रखा जाना चाहिए।

10. <u>फैसिलिटेशन केन्द्र पर प्रक्रिया</u> – जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक सुविधा केन्द्र पर एक वरिष्ठ अधिकारी को डाक बैलटिंग के प्रभारी के रूप में नियुक्त करेंगे। यह अधिकारी सुविधा केन्द्र पर डाक बैलेटिंग के लिए उत्तरदायी होंगे। सुविधा केन्द्र पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन नीचे दिया गया है :

(क) राजनीतिक दलों को सूचना – सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सुविधा केन्द्रों पर डाक बैलेटिंग की सुविधा होने की समय–सारणी के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। उन्हें सुविधा केन्द्रों पर सुविधा प्रक्रिया देखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजने की अनुमति दी जाएगी।

(ख) डाक बैलेटिंग के लिए अलग से निर्धारित किया जाने वाला समय – प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में डाक बैलेटिंग को सुकर बनाने के लिए कम से कम 2 घंटे अलग से निर्धारित किए जाएंगे। यदि आवश्यक हो तो इस प्रयोजन के लिए जरुरत के अनुसार 2 घंटे से अधिक का समय निर्धारित किया जाएगा। डाक बैलेटिंग प्रशिक्षण समाप्त होने और डाक बैलेटिंग की सुविधा की प्रक्रिया शुरु होने के बाद, फैसिलिटेशन केन्द्र में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अनुमति दी जाएगी।

(ग) **अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों के लिए व्यवस्थाएं** – अभ्यर्थियों के लिए प्रक्रिया में बाधा पहुंचाए बगैर बैठने और फैसिलिटेशन की प्रक्रिया देखने के लिए व्यवस्था की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति फैसिलिटेशन की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाता है तो फैसिलिटेशन के प्रभारी अधिकारी ऐसे व्यक्ति को तत्काल परिसर छोड़ने का आदेश दे सकते हैं।

(घ) **गोपनीय ढंग से डाक मत पत्र डालने की व्यवस्थाएं करना** – प्रत्येक सुविधा केन्द्र में मतदान केन्द्र के वोटिंग कम्पार्टमेंट से मिलते–जुलते वोटिंग कम्पार्टमेंट बनाए जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कर्मचारीगण अपने डाक मत पत्र पर पूर्ण गोपनीयता में निशान लगाने में सक्षम हो सकें। यदि आवश्यक हुआ तो एक से अधिक ऐसे वोटिंग कम्पार्टमेंट बनाए जाएं। मतदान में प्रयुक्त डाक मत पत्र को लिफाफे (लिफाफे –क–फार्म 13 ख) में रखने के बाद उसे मुहरबंद करने के लिए ग्लू/गम की भी व्यवस्था की जाएगी।

(ङ.) **डाक मत पत्र डालने के लिए व्यक्ति द्वारा घोषणा का अनुप्रमाणन करने के लिए राजपत्रित अधिकारियों की उपलब्धता** – विधि के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति द्वारा डाक मतपत्र के साथ प्रपत्र–13क में राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित एक घोषणा की जानी है। इस प्रयोजन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्येक सुविधा केन्द्र में कम से कम एक राजपत्रित अधिकारी ड्यूटी पर तैनात किए जाएंगे। राजपत्रित अधिकारी मतदाता के पहचान दस्तावेजों के अनुसार उसकी पहचान के आधार पर घोषणा का अनुप्रमाणन करेंगे। उन्हें अनुप्रमाणन से पहले इस बात की अवश्य जांच करनी चाहिए कि मत पत्र की क्रम संख्या घोषणा में दिए गए स्थान में भरी जाए, निर्वाचक द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाएं और उनके डाक पते का उल्लेख किया जाए। अनुप्रमाणनकर्ता अधिकारी को दिनांक के साथ पूरे हस्ताक्षर करने चाहिए और हाथ से लिखना चाहिए या अपना पदनाम एवं कार्यालय पता दर्शाने वाला मुहर लगाना चाहिए।

(च) **फैसिलिटेशन केन्द्र पर डाक मत पत्र जारी करना** – फैसिलिटेशन केन्द्र के प्रभारी अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त डाक मत पत्र उस मतदाता को जारी करेंगे जिसके निमित्त वह मत पत्र है। प्रभारी अधिकारी मत पत्र जारी करने से पहले एपिक या किसी अन्य फोटो पहचान दस्तावेज के आधार पर मतदाता की पहचान का सत्यापन करेंगे और डाक मत पत्र प्राप्त करने के प्रमाणस्वरुप नीचे दिए गए फार्मेट के अनुसार एक रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे :–

अनुवर्ती क्रम सं0	निर्वाचक नामावली की भाग संख्या	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या	निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	अभ्युक्ति

यह रजिस्टर उसी तरीके से मुहरबंद किया जाना चाहिए जैसाकि प्रपत्र 17क रजिस्टर में है और इसे नियम 93(1) में उल्लिखित अन्य सांविधिक लिफाफों के साथ रखा जाना चाहिए।

उपर्युक्त रजिस्टर की प्रति निर्वाचन–क्षेत्र में मतदान की तारीख के बाद ऐसे अभ्यर्थियों को दी जा सकती है जो इसकी मांग करते हैं।

(छ) **वह समय जब तक डाक मत पत्र जारी किया जा सकता है** – डाक मतपत्र जारी करने के लिए निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं द्वारा सूचना देने, डाक मत पत्र जारी करने की प्रक्रिया और डाक मतपत्र वापस करने के लिए समय संबंधी उपबंध निर्वाचन संचालन नियमावली, 1961 के नियम 20, 23 और 27 में दिए गए हैं। इन उपबंधों के अनुसार जब कभी भी निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं को कोई डाक मतपत्र जारी किए जाते हैं तो मतपत्र के अधपन्ने में निर्वाचक की निर्वाचक नामावली संख्या, मतदान केन्द्र में मतदान के संचालन के लिए अलग रखी गई निर्वाचक नामावली संख्या की चिह्नित प्रति में यथा–प्रविष्ट, प्रविष्ट की जानी होती है, और निर्वाचक नामावली की उक्त चिह्नित प्रति में निर्वाचक के नाम के सामने शब्द 'पीबी' यह दर्शाने के लिए चिह्नित किए जाने होते हैं कि निर्वाचक को डाक मतपत्र जारी किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वही निर्वाचक किसी भी अन्य मतदान केन्द्र में मत न डाल पाए। डाक द्वारा मतदान करने के पात्र निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं को, डाक मत पत्र जारी किए जाने के बाद आर. ओ. को निर्वाचक नामावली के संगत भाग संबंधित पीठासीन अधिकारियों को भेजने होते हैं ताकि वे उन निर्वाचकों के नामों को चिह्नित कर सकें जो मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर ईवीएम पर अपने मत डालते हैं। मतदान के बाद यह चिह्नित प्रति मुहरबंद की जानी होती है और सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाती है।

विधि के उपर्युक्त उपबंधों से स्पष्ट है कि निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 23 के उप–नियम (5) की शर्त (क) के अंतर्गत निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति जब पीठासीन अधिकारियों को भेजे जाने के लिए तैयार हो जाए तो उसके बाद कोई भी डाक मतपत्र नहीं जारी किया जा सकता है। इसलिए, मतदान के संचालन के लिए पीठासीन अधिकारियों को भेजे जाने के लिए निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति तैयार करने के चरण के बाद कोई भी मत पत्र जारी नहीं किया जा सकता है।

(ज) **डाक मतदान की प्रक्रिया** – अपना डाक मतपत्र प्राप्त करने के बाद, मतदाता वोटिंग कम्पार्टमेंट में जाएंगे और गोपनीय रूप से डाक मत पत्र पर निशान लगाएंगे। वे डाक मतपत्र की क्रम संख्या, यदि वह पहले से न भरी गई हो, फार्म 13क में घोषणा में उसके लिए दिए गए स्थान में और उस लिफाफे पर, जिस में मत डाला हुआ डाक मतपत्र रखा जाता है, लिखेंगे। तब वे चिह्नित डाक मतपत्र को इसके प्रयोजनार्थ बने भीतरी लिफाफे (फार्म 13ख – आवरण क) में रखेंगे और उसे अच्छी तरह से मुहरबंद करेंगे। तदुपरांत, मतदाता फार्म–13क में घोषणा पर हस्ताक्षर करेंगे/करेंगी, निर्वाचक नामावली में पंजीकरण का अपना डाक पता लिखेंगे/लिखेंगी, दिए गए स्थान में अपना नाम लिखेंगे/लिखेंगी और जैसाकि विधि द्वारा यथापेक्षित है, उसे एक राजपत्रित अधिकारी से अनुप्रमाणित करवाएंगे/करवाएंगी । मत डाला गया मतपत्र उस अधिकारी को नहीं दिखाया जाना चाहिए जिसका अनुप्रमाणन फार्म 13क में घोषणा पर हासिल किया गया है। तब वे मतदान किए हुए डाक मतपत्र वाले मुहरबंद भीतरी लिफाफे और फार्म–13क में विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित घोषणा को अपेक्षाकृत बड़े लिफाफे (फार्म 13ग–आवरण ख) में रखेंगे और इसे भी मुहरबंद करेंगे। इसके बाद मतदाता फैसिलिटेशन मतपत्र बॉक्स में नीचे यथावर्णित तरीके से अपना डाक मतपत्र डालेंगे।

(झ) **फैसिलिटेशन मतपत्र बॉक्स में डाक मतपत्रों का डाला जाना** – फैसिलिटेशन केन्द्र में एक बड़े स्टील संदूक, जिसमें डाक मतपत्र डालने के लिए उपरी हिस्से में एक ओपनिंग हो, का फैसिलिटेशन मतपत्र बॉक्स के

रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। डाक मतपत्र डाला जाना शुरू करने से पहले खाली फैसिलिटेशन मतपत्र बॉक्स खोला जाएगा और उपस्थित सभी व्यक्तियों को दिखाया जाएगा। इसके बाद, फैसिलिटेशन मतपत्र बॉक्स फैसिलिटेशन केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा मुहरबंद किया जाएगा। प्रत्येक मतदाता फैसिलिटेशन मतपत्र बॉक्स में अपने डाक मतपत्र को उस पर निशान लगाने और उसे ऊपर यथा–वर्णित तरीके से लिफाफे में मुहरबंद करने के बाद, डालेगा। यह फैसिलिटेशन मतपत्र बॉक्स केवल संबंधित प्रशिक्षण स्थानों में द्वितीय/अनुवर्ती प्रशिक्षण दिनों में रखा जाएगा।

(ञ) **डाक मतपत्रों की छंटाई करना** – निर्धारित दिन के लिए सभी डाक मतपत्रों को डाल दिए जाने के बाद बॉक्स राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में फैसिलिटेशन केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा खोला जाएगा। सभी डाक मतपत्र बॉक्स से बाहर निकाले जाएंगे और खाली बॉक्स राजनीतिक दलों के उक्त प्रतिनिधियों को दर्शाया जाएगा। डाक मतपत्र लिफाफे विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रवार छांटे जाएंगे और प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र के लिए प्राप्त डाक मतपत्र लिफाफों की कुल संख्या की प्रविष्टि सूचना केन्द्र में इस प्रयोजनार्थ बनाए रखे जाने वाले फार्मेट–1 में विवरण में की जाएगी। उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाएगा कि वे रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करें और उन्हें रजिस्टर के संगत पृष्ठों की एक प्रति दी जाएगी। एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी डाक मतपत्र लिफाफे उस विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र के तात्पर्यित बड़े लिफाफे में रखे जाएंगे। इस लिफाफे पर फैसिलिटेशन केन्द्र का नाम, फैसिलिटेशन की तिथि और उसमें निहित डाक मतपत्रों की संख्या सुस्पष्ट तरीके से लिखी जाएगी। लिफाफे पर उस विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र की संख्या एवं नाम भी सुस्पष्ट तरीके से लिखें जाएंगे जिसके लिए लिफाफे तात्पर्यित है। तदुपरांत, यह लिफाफा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त विशेष संदेशवाहक, जिसका रैंक डिप्टी तहसीलदार के रैंक तत्पश्चात इस लिफाफे को इस उद्देश्य के लिए नियुक्त विशेष संदेशवाहक जो उप तहसीलदार के रैंक से कम न हो, के माध्यम से फार्मेट–1 में संगत विवरण की एक प्रति के साथ संबंधित विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को भेजा जाएगा।

(ट) **डाक बैलेटिंग प्रक्रिया की वीडियोग्राफी** – डाक मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।

यह नोट किया जाए कि निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात मतदाता को डाक मतपत्र एक बार जारी कर दिए जाने के बाद वह उस परिस्थिति में भी केवल डाक मतपत्र के माध्यम से ही मतदान कर सकते/सकती हैं जब कर्मचारी को निर्वाचन ड्यूटी से छूट–प्राप्त हो/तैनात नहीं किया गया हो।

11. **फैसिलिटेशन केन्द्रों में डाक बैलेटिंग की प्रक्रिया का अनुवीक्षण करना** – फैसिलिटेशन केन्द्र के प्रभारी अधिकारी प्रतिदिन फार्मेट–2 में एक विवरणी तैयार करेंगे जब फैसिलिटेशन केन्द्र में डाक मतपत्रों का फैसिलिटेशन किया जाता है और उसे जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे। प्रत्येक जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में डाक मतपत्रों के लिए फैसिलिटेशन के समाप्त होने तक प्रत्येक दिन अपने जिले के लिए अपने जिले के फैसिलिटेशन केन्द्रों पर डाले गए डाक मतपत्रों के लिए फार्मेट–2 में विवरणी का संकलन करेंगे। इस विवरणी की एक प्रति प्रत्येक दिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी फार्मेट–2 में संपूर्ण राज्य की विवरणियों का संकलन करेंगे और संकलित फार्मेट–2 की एक प्रति

राज्य में डाक मतपत्रों का फैसिलिटेशन समाप्त हो जाने तक आयोग को भेजेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सभी मान्यता–प्राप्त राजनीतिक दलों को भी फार्मेट–2 में रिटर्न की एक प्रति भेजेंगे।

12. **रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त डाक मतपत्रों का भंडारण** – संबंधित विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी फार्मेट–1 में संगत विवरण की प्रति के साथ डाक मतपत्रों वाले लिफाफे को इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से बनाए गए विशेष स्ट्रांग रूप में रखेंगे।

13. मतदान दलों के भेजे जाने के दिन डिस्पैच सेंटर पर इस्पात का एक संदूक (फैसिलिटेशन मतपत्र बॉक्स) भी रखा जाएगा ताकि निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात जिस किसी कर्मचारी ने प्रशिक्षण सत्र में मतदान नहीं किया हो वह ऐसे फैसिलिटेशन मतपत्र बॉक्स में डाक मतपत्र वाले लिफाफे को डाल सके। सभी पार्टियों के चले जाने के बाद फैसिलिटेशन मतपत्र बॉक्स खोले जाएंगे और निर्वाचन – क्षेत्रवार छांटे जाएंगे और मुहरबंद लिफाफे में उसी तरीके से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में भेजे जाएंगे जैसाकि ऊपर स्पष्ट किया गया है। अभ्यर्थियों को इस कार्यकलाप के बारे में पहले से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि यदि वे कोई प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करना चाहें तो ऐसा कर सकें।

14. यदि कोई मतदाता फैसिलिटेशन केन्द्र/डिस्पैच सेंटर पर मत नहीं डाल पाता है तो वह केवल डाक के जरिए ही मत दे सकता/सकती है। रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों को कोई भी ड्राप बॉक्स सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

15. <u>डाक मत पत्रों को डाक द्वारा प्राप्त करना</u> :–

क) **डाक विभाग के साथ की जाने वाली व्यवस्था** – डाक मतपत्र डाक द्वारा वापस प्राप्त करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी डाक विभाग के साथ व्यवस्था करेंगे और उन्हें प्रत्येक संसदीय/विधान सभा निर्वाचन – क्षेत्र के लिए एक ऐसा डाकघर नामित करने लिए कहेंगे जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को प्रत्येक दिन डाक मतपत्र डिलीवर करेंगे। डिलीवरी का समय रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में अपराह्न 3 बजे प्रतिदिन नियत किया जाएगा। मतगणना का दिन इसका अपवाद होगा जब डिलीवरी का समय पूर्वाह्न 8 बजे से पहले या उस विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र के लिए मतगणना केन्द्र पर मतगणना शुरू होने के लिए नियत ऐसा कोई अन्य समय होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना केन्द्रों और रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों के पतों की सूची के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

ख) **डाक द्वारा डाक मतपत्रों को प्राप्त करने के समय राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों का उपस्थित होना** – सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा कि वे या उनके प्रतिनिधि डाकघर द्वारा डाक मतपत्रों की डिलीवरी के समय उपस्थित रह सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए मतगणना दिवस के दिन मतगणना केन्द्र में डाक विभाग के नामित कर्मचारी को प्रवेश देने के लिए एक पास जारी किया जाना चाहिए।

ग) **डाक द्वारा डाक मत पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया** – डाक घर द्वारा डिलीवर किए गए डाक मत पत्रों की गिनती राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों तथा अभ्यर्थी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की जाएगी तथा प्राप्त किए गए डाक मत पत्रों की संख्या की पावती डाक घर को दी जाएगी। इस पावती की एक प्रति रिटर्निंग

अधिकारी के रिकार्ड में रखी जाएगी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए डाक मत पत्रों की प्रविष्टि फार्मेट–3 में दैनिक विवरणी में की जाएगी। संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।

घ) **डाक द्वारा प्राप्त डाक मत पत्रों का संग्रहण** – रिटर्निंग अधिकारी डाक घर से प्राप्त सभी डाक मत पत्रों को प्रत्येक दिन उस दिन के लिए नियत एक अलग लिफाफे में रखेंगे तथा लिफाफे के ऊपर तारीख एवं शब्द 'डाक द्वारा प्राप्त डाक मत पत्र' लिखेंगे। डाक प्राप्त किए जाने के पश्चात वह इस लिफाफे को भी प्रत्येक दिन डाक मत पत्रों के स्ट्रांग रुम में भी रखेंगे।

ड.) **डाक द्वारा प्राप्त किए गए डाक मत पत्रों का अनुवीक्षण** – रिटर्निंग अधिकारी फैसिलीटेशन केन्द्रों से प्राप्त डाक मत पत्रों की विवरणी प्रत्येक दिन विवरण–3 में तब तक तैयार करेंगे जब तक कि उन्हें फैसिलीटेशन केन्द्रों से डाक मत पत्रों का प्राप्त होना बंद न हो जाए। वे गणना के दिन तक विवरणी में विवरण–3 पर डाक द्वारा प्राप्त किए गए डाक मत पत्रों की संख्या की भी प्रविष्टि करेंगे। वे जिले के जिला – निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक दिन फार्मेट–3 में विवरणी की एक प्रति भेजेंगे। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों को विवरणी की एक प्रति फार्मेट–3 में भी भेजेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक दिन राज्य की सूचना को फार्मेट–3 में संकलित करेंगे तथा इसकी एक प्रति आयोग को भेजेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी संकलित फार्मेट–3 की एक प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी भेजेंगे ।

16. **ऐसे मतगणना स्थल पर डाक मत पत्र भेजना जहां मतगणना रिटर्निंग अधिकारी मुख्यालय पर नहीं की जाती है** – ऐसे मामलों में जहां गणना रिटर्निंग अधिकारी के मुख्यालयों से इतर स्थान में की जाती है, वहां संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के डाक मत पत्रों को गणना केन्द्रों में गणना के दिन से एक दिन पूर्व संबंधित संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियत दूसरे स्ट्रांग रुम में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। इस प्रयोजनार्थ, रिटर्निंग अधिकारी, अभ्यर्थियों को इसे किए जाने के समय के बारे में लिखित रुप में सूचित करेंगे। डाक मत पत्रों के लिए स्ट्रांग रुम अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खोले जाएंगे। तब, सभी डाक मत पत्रों को एक बड़े स्टील बक्से में रखा जाएगा जिसे अभ्यर्थियों तथा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मुहरबंद किया जाएगा। तब इस बक्से को सशस्त्र केन्द्रीय पुलिस बल की सुरक्षा में गणना केन्द्र पर डाक मत पत्रों के स्ट्रांग रुम में ले जाया जाएगा। अभ्यर्थियों तथा उनके प्रतिनिधियों को डाक मत पत्रों को ले जाने वाले वाहन का अनुगमन करने की अनुमति दी जाएगी। तब डाक मत पत्रों वाले बक्से को अभ्यर्थियों तथा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मतदान केन्द्र में डाक मतपत्र वाले स्ट्रांग रुम में रखा जाएगा। तत्पश्चात स्ट्रांग रुम को मुहरबंद किया जाएगा तथा अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों से उनकी उपस्थिति के प्रमाणस्वरुप हस्ताक्षर लिए जाएंगे। अभ्यर्थियों तथा उनके प्रतिनिधियों को स्ट्रांग रुम की निगरानी करने की अनुमति दी जाएगी जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उन्हें उचित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। गणना के दिन, रिटर्निंग अधिकारी स्ट्रांग रुम को खोलेंगे तथा फेसिलीटेशन केन्द्रों से प्राप्त सभी डाक मत पत्रों तथा रजिस्टरों के संगत पृष्ठों की प्रतियों को उस मेज पर लाएंगे, जहां डाक मत पत्रों की गणना की जाएगी।

17. **गणना से पूर्व डाक मत पत्रों का मिलान करना** – फेसिलीटेशन केन्द्रों से प्राप्त लिफाफे को एक–एक करके खोला जाएगा तथा प्रत्येक लिफाफे में पाये गए डाक मत पत्रों की संख्या को फेसिलीटेशन केन्द्र से प्राप्त

रजिस्टरों के संगत पृष्ठों की प्रतियों में निर्दिष्ट संख्याओं से मिलान किया जाएगा। ऐसे मिलान के परिणाम को डाक मत पत्रों की गणना से पूर्व अभ्यर्थियों तथा उनके निर्वाचन एजेन्टों को दिखाया जाएगा। इसी प्रकार, डाक द्वारा प्राप्त मत पत्रों के रजिस्टर को भी अभ्यर्थियों तथा उनके निर्वाचन एजेन्टों को दिखाया जाएगा।

18. आयोग ने यह निदेश दिया है कि इन अनुदेशों को तत्काल सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए। राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा तथा जिला स्तर पर निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इस पत्र की एक प्रति दी जाए। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को भी इस पत्र की एक प्रति दी जानी चाहिए।

भवदीय,

आशीष चक्रवर्ती

(आशीष चक्रवर्ती)

सचिव

प्रपत्र – 1

फैसीलिटेशन केन्द्र पर डाले गए डाक मतपत्रों संबंधी विवरण

राज्य का नाम .....

फैसीलिटेशन केन्द्र का नाम .....

जिले का नाम .....

प्रभारी अधिकारी का नाम एवं पद .....

क्रम संख्या	दिनांक	संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	डाले गए डाक मतपत्रों की कुल संख्या
तरीख तक कुल			
आज की तारीख तक संचित योग			

प्रपत्र – 2

जिले के अन्तर्गत फैसीलिटेशन केन्द्र पर डाले गए डाक मतपत्रों का जिला–वार विवरण

(फैसीलिटेशन प्रदान किए जाने के प्रत्येक दिन तैयार किया जाए)

राज्य का नाम .....

जिले का नाम .....

संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (त्रों) की संख्या एवं नाम .....

फैसीलिटेशन की तारीख .....

क्रम संख्या	फैसीलिटेशन केन्द्र का नाम	संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए डाले गए डाक मतपत्रों की कुल संख्या	
		तारीख को	तारीख तक
जिले के लिए कुल			
राज्य के लिए कुल			

प्रपत्र – 3

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए डाक मतपत्रों का विवरण

(सार विवरण)

राज्य का नाम .....

जिले का नाम .....

दिनांक .....

क्रम संख्या	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सं० एवं नाम	फैसीलिटेशन केन्द्र से विशेष संवाहक द्वारा प्राप्त डाक मतपत्रों की सं०		डाक द्वारा प्राप्त डाक मतपत्रों की संख्या				प्राप्त डाक मतपत्रों का कुल योग (फैसीलिटेशन केन्द्रों से विशेष संवाहक द्वारा तथा डाक द्वारा सहित)	
				सेवा मतदाताओं से (पीले रंग के लिफाफें में)		निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाताओं एवं अन्य हेतु			
		दिनांक को प्राप्त	आज की तारीख तक प्राप्त संचित योग	दिनांक को प्राप्त	आज की तारीख तक प्राप्त संचित योग	दिनांक को प्राप्त	आज की तारीख तक प्राप्त संचित योग	दिनांक को प्राप्त	आज की तारीख तक प्राप्त संचित योग.
निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल									

ELECTION URGENT
BY EMAIL/CAMP BAG

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

No.52/2014-SDR/

Dated : 7th March, 2014

To,

The Chief Electoral Officers of
all States and Union Territories.

Subject:- Guidelines for issue of Election Duty Certificate – regarding.

Sir/Madam,

A very large numbers of persons are put on duty for the purpose of conduct of elections. These include persons in polling teams including Presiding Officers and Polling Officers, all Police personnel, Sector and Zonal Officers, Returning Officers, Assistant Returning Officers, District Election Officers and their staff, Micro-Observers, Assistant Expenditure Observers, drivers conductors and cleaners of vehicles used in elections etc. The Commission is keen that all persons appointed on election duties who are registered as electors and by reason of being on election duty are unable to vote at the assigned polling station are able to exercise their franchise as per law.

2. Under the provisions of rule 20 of the C.E. Rules, 1960, there are two ways in which franchise can be exercised by a person on election duty. If the person is on duty in the same constituency where he is enrolled as an elector, he is given **"Election Duty Certificate"** (EDC), which entitles him to cast his vote in another polling station of the same constituency where he is on election duty. If on the other hand, the person is on duty in some constituency other than the one in which he is enrolled as an elector, he is entitled to vote by **Postal Ballot (PB)**. Many Persons on election duty are not even aware that they are entitled to EDC or Postal Ballot.

3. During the general elections to the Legislative Assemblies of various States held in the past when only postal ballot option was made available to "voters on election duty" as officials are normally not assigned duty in the constituency where they are registered as electors, it posed a great challenge to properly manage various activities connected with issue of postal ballot papers, provide facility for casting of vote at the Facilitation Centre, handling of polled PBs

received by post or dropped in person after the actual date of poll in the constituency, transmission of polled PBs to the respective ROs within the district as well as inter district etc. and again at the time of counting of votes. Certain other problems, such as, the officials not collecting the PB even after applying for the same, many persons not voting at the facilitation center after obtaining the PB, persons not enrolling at their ordinary place of residence but continuing to be enrolled in their native villages or towns where they are not living any longer, enrolling at more than one place etc. were encountered. Apart from this, some candidates asked for list of voters issued with PB, etc.

4. During the ensuing General Election to Lok Sabha 2014, polling staff would be primarily drawn from and posted within the parliamentary constituency itself, though they may not be deployed in their own Assembly Constituencies. Therefore, most of the voters on election duty can vote by using EDC. Voting through EDC has following advantages :-

a) No special arrangements have to be made to facilitate casting of ballot by employees who have been issued EDC;
b) No special monitoring of casting of ballots has to be made by the RO;
c) Allegations of violation of secrecy of ballot, and influencing or intimidation of voters, are avoided;
d) Complaints about issue of Postal Ballot even after the poll day are completely avoided;
e) No special arrangements have to be made to send polled Postal Ballot to the Returning Officer concerned for counting.
f) Time consumed in counting of postal ballot is saved.

5. In view of the above advantages of management of EDC over Postal Ballot, the Commission hereby directs that employees randomization software shall be made in such a manner that to the extent possible the polling staff is deployed in election duty in the same Parliamentary Constituency in which they are registered as voter but not in the same assembly segment where they are resident.

6. As per the provisions of sub-rule (2) of rule 20 of C.E. Rules 1961, if a voter on election duty, being a Polling Officer, Presiding Officer or other public servants on election duty in a constituency of which he is an elector, wishes to vote in person at an election in the constituency, he shall send an application in **FORM 12A** (Annexure-I) to the Returning Officer so as to reach him at least **4 days or such shorter period** as the RO may allow before the date of poll. The

RO, after he is satisfied that the applicant is such public servant and voter on election duty in the constituency, shall issue an Election Duty Certificate in **FORM 12B** (Annexure-2) to authorise the voter on election duty to vote at any polling station in said constituency where he may be on duty on the date of poll.

7. The Election Duty Certificate in Form 12B shall be printed in adequate number either centrally by the CEO or the DEO, as may be convenient, and each such certificate shall be serially numbered with a unique serial number.

8. In the format of application for EDC in Form 12 A, there is column for mentioning the number and name of the polling station within the constituency where he is posted on election duty and also the S.No. & Part No. of the electoral roll in which his/her name is registered as an elector. While the details of the assembly constituency, Part No. of electoral roll, Sl. No. of the voter where his/her name is entered in the roll and EPIC number will be available in the employees database, the details of polling station where s/he is posted on election duty would be known only after the third round of randomisation is done to assign specific polling station. Therefore, the details regarding the polling station where posted for duty need not be filled by the applicant. The rule also mandates that the letters **"EDC"** should be indicated in the **"marked copy of the electoral roll"** against the name of the person to whom EDC is issued to ensure that the same person is not allowed to vote at the polling station where he would otherwise have been entitled to vote. The voter on election duty can exercise his/her franchise in person on the basis of the EDC at the polling station where he is deployed on poll duty.

9. In the case of polling staff while issuing the appointment orders drafting them on election duty after first randomisation, the copy of Form-12A (either pre-filled generated from the employees database or blank Form where the database is not populated with electoral roll particulars) shall be sent to them.

10. In the case of police personnel who are also treated as voters on election duty, the SP or other competent officer will maintain a database of all police personnel in the district. In that database, the elector details, like, No. & Name of Assembly Constituency, Part No. & Sl. No. of electoral roll where name is registered as an elector shall also be populated. The SP shall prepare the deployment plan for the police officials in the district well in advance. At this stage the

constituency where they are deployed on election duty would be known, whether within the constituency where registered as elector or in a different constituency. Those posted within the constituency will be eligible for voting on the basis of "**EDC**" and those posted outside the constituency will be eligible for voting through **Postal Ballot.** The SP shall appoint a Nodal Officer to coordinate all activities related to facilitating the exercise of franchise by police personnel through postal ballot or EDC. Form 12A (for EDC) or Form 12 (for Postal Ballot) shall be provided by the SP or the nodal officer identified for this purpose to enable the police personnel to make application for EDC or PB, as the case may be. The SP or the nodal officer shall ensure that these applications in Form 12 and 12A with the electoral roll details duly entered and signed by the police personnel are sent to the concerned Returning Officer at least 7days before the date of poll so that **EDC or PB,** as the case may be, can be issued after making necessary entries in the marked copy of the electoral roll.

11. Similarly, in the case of drivers/conductors/cleaners and other persons appointed for specific election related duties also a Nodal Officer may be appointed. The enrolment details like No. & Name of Constituency, Part No. and Sl. No. of entry in the electoral roll of the persons so drafted for election duty shall be ascertained by the Nodal Officer and they shall be provided Form 12A (for EDC) if posted on election duty within the constituency of enrolment or Form 12 (for Postal Ballot) if posted in a different constituency to enable them to make application for EDC or PB, as the case may be. The nodal officer shall ensure that these applications in Form 12 and 12A with the electoral roll details duly entered and signed by the driver, conductor etc. drafted on election duty are sent to the concerned Returning Officer at least 7 days before the date of poll so that **EDC or PB,** as the case may be, can be issued after making necessary entries in the marked copy of the electoral roll.

12. **Marking of 'EDC' in the marked copies of electoral roll** should be done as early as possible after the officials would have submitted applications for EDC in Form 12A. The ROs may not insist upon the mentioning of P.S.No in application in Form 12A. Preparation of marked copy of electoral roll should not be delayed till the stage of issue of EDC. Once Form 12A application is submitted, the officials concerned can only vote using the EDC (Form 12B) at the polling station where he is on duty or in a nearby polling station if he is not assigned any specific polling station.

13. Similarly, when an official is deployed on election duty in the capacity of Zonal Magistrate or Sector Officer in a parliamentary constituency where he is a voter, he should also be given EDC so that he can exercise his franchise in any one of the polling stations that comes under the zone/sector allotted to him.

14. The question whether particular polling personnel is deployed on election duty at a polling station or is in reserve will be known immediately after second randomization. At that stage, the total number of staff going to be deployed in polling stations inside the PC will be known.

15. In the case of the officials who would be eligible for EDC, they should be briefed about the EDC facilities at the first training. As mentioned above, a copy of the Form 12A should be sent to the officials requisitioned for election duty together with the duty order. The officials should be instructed to submit the same duly signed, when they come for the first training itself. In this Form 12A they need not mention the Sl. No. and name of P.S. where they are posted on election duty within the constituency in that Form as that would not be known before third randomization of polling personnel.

a) In case Form 12A is generated from the database then he should check the electoral roll details already printed and correct mistakes if any in the AC No. & Name, Part No. & Sl. No. of electoral roll and EPIC number.

b) In case Form 12A is not generated, then he should fill up the details legibly. Those officials who do not know the part no. and serial no. of their entry in the electoral roll may be provided all necessary assistance to ascertain the same to enable the polling personnel to mention in Form-12A the particulars relating to their electoral roll entries (Sl No., Part No. of entries in the electoral roll). The copies of the electoral rolls will be kept in separate counters, assembly segment wise with sufficient number of staff to assist the election duty officials to locate their name in the roll.

c) The Form 12A should be submitted together with a copy of the duty order and photocopy of EPIC in order to ensure that no ineligible person is issued a EDC.

d) Applications in Form-12A, completed in other respects and duly signed by the polling personnel, would be collected at the first training class itself. These, again, should be collected assembly segment wise.

e) The DEO shall make arrangements to ensure that all applications received in Form 12-A are immediately forwarded to the concerned RO.

16. The RO shall prepare the Election Duty Certificate in respect of all personnel who have submitted duly signed application in Form 12A. This should be done well before the second training/facilitation so that the EDC can be delivered to the electors on the second training/facilitation day. While preparing the EDC, the Part No. should be suffixed after the serial No. of the elector in the space provided for this in the format of EDC. (like 415/25 i.e. Sl. No.415 in Part No.25 of electoral roll).

17. At this stage, proper account of the **EDCs** issued shall be maintained in a register. The names of the polling personnel issued with EDC and unique serial no. of the EDC should be entered in the register and the signature of the polling personnel obtained against that entry as and when EDC is issued to them. The Register shall be in the format enclosed herewith as Annexure-3.

18. The persons who after making application for EDC do not come to collect the EDC on the second day of training/facilitation may be asked to collect it from the RO/Officer-in-charge on a subsequent date as may be decided by the RO. Any leftover personnel can be given the EDC at the time of dispatch of polling party.

19. For the polling personnel kept as reserves, if they are deployed on duty in any polling station on the day of poll, they can cast vote using EDC in such polling station. For other staff on reserve who are not assigned to any particular polling station they can vote in any polling station located near the place where the reserve personnel are stationed.

20. At the polling stations, the Presiding Officers should brief the polling agents about the facility provided to the polling personnel to vote in that polling station using EDC. It may also be made clear to them that once EDC is issued they can vote only on the basis of EDC.

21. The Presiding Officer of a polling station shall take following action as per provision of rule 35A of C.E. Rules, 1961, whenever any polling staff presents EDC for casting of vote at that polling station :-

a) Obtain the signature of the person producing the EDC on the EDC;

b) Have the name and electoral roll details as mentioned in the EDC entered at the end of the marked copy of the electoral roll alongwith the particulars of electoral roll details;

c) Each such entry should be serially numbered consecutively after the last serial number of entries in the relevant part of electoral roll.

d) The EDC shall be retained by the first polling officer.

22. Thereafter, the person shall be allowed to vote by following the usual procedure. In the Form 17A (register of voters), in the column meant for serial number of elector in the electoral roll, the serial number, part number and the name of Assembly Segment of the EDC holder shall be mentioned. For example, if the EDC holder is enrolled at Sl. No. 415 in part No. 25 of Assembly Segment 'XYZ', the entries in column 2 of Form 17A in that case would be '415/25/XYZ'. In the remarks column of Form 17A, "EDC voter" shall be written.

23. The polling personnel using EDC facility should cast vote at the time when the polling agents are present in the polling station except in cases where no polling agent turns up. In the case of the reserve polling personnel, they should be advised to vote as soon as possible in the beginning itself, as they may be required later or to be shifted to different polling stations to meet emergent situations.

24. The Presiding Officer should note the total number of electors who voted on production of EDC against the relevant item in the PO Diary. In **Item No.1 of Form 17C (Part-I)** regarding the total number of electors assigned to the Polling Station, the figures of total number of electors as per the relevant part of the electoral roll plus electors who voted on production of EDC shall be indicated. The actual number of electors assigned as per the total number of electors in that part of electoral roll may be shown first followed by votes polled on production of EDC. For example, if the total no. of electors assigned to a polling station is 1125 and 9 votes were cast on production of EDC, then in Form 17C it shall be shown as **"1134 (1125 + EDC 9)"**.

25. The Presiding Officer shall keep all the EDCs produced in the polling station in a separate envelope mentioning thereon the No. & name of the polling station and the total number

of EDCs inside the envelope. This envelope shall be sealed and returned alongwith the other election material.

26. In the collection centre, all the envelopes containing EDCs should be kept separately and these envelopes should later be stored in a separate trunk. In the event of any repoll in any polling station, the electors who voted in that polling station on the basis of the EDC shall be issued a fresh EDC to enable them to exercise their franchise during the repoll at the concerned polling station. In case any person cast vote by EDC in the polling station going to repoll his details can be known by opening the envelope in which the EDCs used at that polling station are kept.

27. The DEO will be responsible for proper coordination of the whole activities.

28. In the States of Mizoram, Nagaland & UTs of A & N Islands, Chandigarh, Daman & Diu, D & N Haveli, Lakshadweep and Puducherry having only one parliamentary constituency, every category of voters on election duty will be issued EDC only.

29. In the States of Andhra Pradesh, Odisha and Sikkim where simultaneous election will be held for Lok Sabha and Legislative Assembly all voters on election duty viz. polling personnel/police personnel/Drivers, cleaners, videographers and all other category of voters on election duty will be issued only Postal Ballot Paper as otherwise as per the existing randomisation norm of posting within PC but outside AC they will get one EDC for PC and PB for AC.

30. The above instructions may be brought to the notice of all concerned for implementation without any deviation.

Yours faithfully,

(Ashish Chakraborty)
Secretary